

वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT 2014-2015



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL HORTICULTURE BOARD

ok"KZl ifronu Annual Report 2014-15



jkVh, ckxokuh ckVZ
NATIONAL HORTICULTURE BOARD

कृषि ँव किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India

प्लॉट नं. 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुड़गाँव-122015 (हरियाणा)

Plot No. 85, Institutionl Area, Sector- 18, Gurgaon - 122015 (Haryana)

दूरभाष / Tel.: 0124-2342992, फैक्स / Fax: 0124-2342991, 2341225

वेबसाइट / Website: www.nhb.gov.in

विषय-सूची

1. परिचय
2. दृष्टिकोण
3. मिशन
4. उद्देश्य
5. ढाँचा
 - निदेशक मंडल
 - राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति
6. संसाधन
 - लोग
 - नेटवर्क
 - अवसंरचना
 - वित्त-पोषण
7. योजनाएँ/कार्यक्रम
8. मुख्य विशेषताएँ – वर्ष 2014–15

संलग्नक

- I. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य
- II. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची – 31-03-2015 के अनुसार
- III. स्टाफ स्थिति – 31-03-2015 के अनुसार
- IV. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की इकाई/शाखा कार्यालयों की उनके सम्पूर्ण पतों सहित सूची
- V. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रकाशनों की सूची
- VI. वर्ष 2014–15 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखे

वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड



भारत का बागवानी उत्पादन आज लगभग 280 मिलियन टन प्रतिवर्ष पहुँच चुका है, इससे न केवल छोटे और सीमांतक किसान खुशहाल हुए हैं अपितु राष्ट्र को खाद्य और पौषणिक सुरक्षा भी प्राप्त हुई है। भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आज भारत में कृषि में विविधता के मामले में बागवानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा है। इस दिशा में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) का योगदान बहुआयामी रहा है। बोर्ड वर्ष 1999-2000 से अपनी व्यापक आधार वाली तथा उद्यमियों द्वारा चलाई जाने वाली नवीन योजनाओं के माध्यम से उन्नत उत्पादन, फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन और मूल्य-संवर्धन द्वारा वैश्विक बाजारों की चुनौतियों का सामना करने के लिए किसानों तथा उद्यमी की सहायता कर रहा है।

अप्रैल 2014 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.) की शुरुआत के बाद, रा.बा.बो. के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह दोबारा से अपनी जगह बनाए और वाणिज्यिक बागवानी क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास को गति देने के लिए नई भूमिका की कल्पना करे। इसे प्राप्त करने के लिए, एम.आई.डी.एच. की

अन्य उप-योजनाओं के साथ सहक्रियता सृजित करने और अतिव्यापन को दूर करते हुए बागवानी क्षेत्र के विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रा. बा.बो. की योजनाएँ संशोधित की गई हैं। यह देखा जा सकता है कि कुछ समय तक कई मौजूदा योजना घटक जरूरी संशोधनों के साथ प्रचालन में रहेंगे, सरकार ने एम.आई.डी.एच. के अधीन एन.एच.एम. की योजनाओं के समान एकरूपता बनाए रखने के लिए खुले क्षेत्र में खेती के लिए 40 प्रतिशत और संरक्षित खेती के लिए 50 प्रतिशत सहायिकी का उच्चतर स्तर अनुमोदित किया है।

आशय-पत्र (एल.ओ.आई.) और सहायिकी (अग्रिम/अंतिम) जारी करने के संबंध में संशोधित तथा सरलीकृत प्रक्रियाओं के साथ रा.बा.बो. योजनाओं का मौजूदा विस्तृत-विवरण उद्यमियों को और अधिक प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। कई आकर्षक मध्यवर्तन जैसे न्यूनतम दस्तावेजों के साथ सरलीकृत आवेदन प्रपत्र, स्वैच्छिक एल.ओ.आई. प्रणाली, कुछ मामलों में अनिवार्य क्रेडिट-लिंक से छूट, 100 प्रतिशत अनुमानित सहायिकी अग्रिम रूप में जारी करना, आकर्षक लागत मानदण्ड और सहायता का तरीका, खुले क्षेत्र में खेती के लिए कम की गई क्षेत्र सीमा आदि नई योजनाओं के कुछ महत्वपूर्ण आकर्षण हैं। प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरण, बागवानी संवर्धन और बाजार सूचना प्रणाली की चल रही योजनाओं पर और अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

रा.बा.बो. के नए प्रचालनात्मक दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2014 से लागू किए गए हैं। यह उम्मीद की गई है कि इन योजनाओं से उत्पादकता में वृद्धि होगी और फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन उन्नत होगा तथा गुणवत्ता पर बल के साथ विपणन में सुधार होगा। इससे निर्यातों सहित बागवानी के प्रत्येक पहलू में उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने आधुनिक प्रौद्योगिकीयुक्त 69 शीत संग्रहगार स्थापित करने को बढ़ावा दिया है जो आगे जाकर व्यक्तियों तथा सामान की सुरक्षा और पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान देते हुए निर्धारित संग्रहण परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाने के लिए ऊर्जा-कुशल शीत श्रृंखला अवसंरचना की वृद्धि हेतु राह प्रशस्त करेंगे।

इस वर्ष के दौरान, बोर्ड ने “हार्टि-संगम” नामक बागवानी मेलों की अपनी श्रृंखला को जारी रखा है जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। इसे शुरू करने के बहुउद्देश्यों में गुणवत्तायुक्त फलों के उच्चतर प्रतिशत के साथ उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादक किसानों के बीच क्षमता निर्माण करना, ताज़े बागवानी उत्पाद के फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल अंगीकृत करना, इसकी पैकेजिंग तथा परिवहन और उत्पाद संवर्धन तथा बाजार विकास के प्रयोजन के लिए गैर-परंपरागत उपभोग केन्द्रों में सीधे बाजार पहुँच बनाना शामिल हैं। तदनुसार, अंतर-राज्यीय हार्टि संगम 3 से 5 जून 2014 के दौरान सी.सी.ओ.आई., रफी मार्ग, नई दिल्ली और 9 से 11 जनवरी 2015 के दौरान लाल बाग, बेंगलूरु (कर्नाटक) में भी आयोजित किए गए थे।

हालांकि, अपनी योजनाओं के पुर्ननिर्माण के बाद, यह बोर्ड बागवानी क्षेत्र में क्षेत्र विकास की ऐसी परियोजनाएँ शुरू नहीं कर पाया है जो छोटे तथा सीमांतक किसानों द्वारा संवर्धित की जा सकें, परन्तु यह बोर्ड उन्हें सेवा प्रदान करना जारी रखे हुए है जब वे परियोजनाओं के संयुक्त प्रवर्तकों के रूप में आते हैं और प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की अपनी योजना के माध्यम से भी उन्हें लाभ पहुंचाया जा रहा है।

इस बोर्ड की योजनाओं ने वाणिज्यिक बागवानी और बागवानी उत्पादन केन्द्र स्थापित करने में सफलता की कहानियाँ सृजित किए जाने में सहायता

प्रदान की है। इसने फलों तथा सब्जियों के उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन और निर्यात संभावना तथा घरेलू बाज़ार में भी अच्छी माँग वाले उच्च-तकनीक के पुष्पोत्पादन के मामले में निजी-निवेश तथा प्राथमिक क्षेत्र ऋण देने को आकर्षित किया है।

यह उल्लेखनीय है कि इस बोर्ड ने वर्ष 1999-2000 में इस योजना के शुरू किए जाने से अब तक लगभग 61404 हैक्टेयर में वाणिज्यिक बागवानी की परियोजनाओं हेतु सहायता प्रदान की है। वर्ष 2014-15 के दौरान, बोर्ड ने वाणिज्यिक बागवानी की 1053 परियोजनाओं हेतु सहायता प्रदान की है और ₹0 7958.95 लाख की सहायिकी जारी की है। इसके अलावा, बोर्ड ने शीत संग्रहगारों तथा विशेष संग्रहगारों से संबंधित परियोजनाओं हेतु ₹0 10226.89 लाख, प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण के लिए ₹0 723.41 लाख, बाज़ार सूचना योजनाओं के लिए ₹0 766.40 लाख और रा.बा.बो. के सुदृढीकरण/क्षमताओं हेतु ₹0 926.32 लाख की वित्तीय सहायता जारी की है।

बागवानी विकास के क्षेत्र में बोर्ड की उल्लिखित उपलब्धियाँ रा.बा.बो. के निदेशक मंडल और प्रबंध समिति के योग्य मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं होती, जिसके लिए मैं श्री राधा मोहन सिंह, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री तथा बोर्ड के अध्यक्ष, श्री संजीव बालियान, माननीय केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री तथा बोर्ड के उपाध्यक्ष और रा.बा.बो. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं विशेष रूप से श्री आशीष बहुगुणा, सचिव (कृषि एवं सहकारिता) तथा अध्यक्ष, प्रबंध समिति और प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने नियमित रूप से अपना मार्गदर्शन तथा सहयोग प्रदान किया। मैं लक्ष्यों को प्राप्त करने में रा.बा.बो. के अधिकारियों तथा स्टाफ की टीम द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट सहयोग की भी सराहना करता हूँ।



(ए. के. सिंह)
प्रबंध निदेशक

परिचय

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) की स्थापना भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1984 में डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन, तत्कालीन सदस्य (कृषि), योजना आयोग, भारत सरकार की अध्यक्षता में "विनाशवान कृषि उत्पादों पर समूह" की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है तथा इसका मुख्यालय गुड़गांव में है।

दृष्टिकोण

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वाणिज्यिक बागवानी न केवल भोजन तथा पोषण सुरक्षा मुद्दा करवाती है बल्कि बेहतर आर्थिक लाभ तथा किसानों हेतु जोखिम के न्यूनीकरण हेतु फसल विविधता के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है, वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश हेतु समन्वित प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है। इस क्षेत्र में समूह में वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार, कटाई उपरांत प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना के साथ प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रयास, उत्पाद संवर्धन, विपणन तथा निर्यात शामिल हैं। इस दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा पैमाने में वृद्धि का लाभ उठाने हेतु उत्पादक किसानों को एकत्र करके संभावित समूहों में वाणिज्यिक बागवानी के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।

मिशन

- ❖ उत्पादक केंद्र के विकास और गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देना।
- ❖ कटाई उपरांत प्रबंधन तथा हरित शीत श्रृंखला अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना।
- ❖ गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- ❖ उत्पादकों, किसानों, विस्तार कामगारों, अनुसंधान संगठनों, निजी शेयरधारकों और ऋण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से उत्पाद संवर्धन, बाजार विकास और निर्यात संवर्धन।

उद्देश्य

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के समेकित विकास में सुधार करना है और फलों तथा सब्जियों के उत्पादन एवं

प्रसंस्करण को बनाए रखने के लिए समन्वयन में सहायता प्रदान करना है। बोर्ड के विस्तृत उद्देश्य संलग्नक-I में दिए गए हैं।

ढांचा

क. निदेशक मंडल

❖ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सभी क्रियाकलापों का प्रबंधन एक शीर्ष निकाय "निदेशक मंडल" द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख इसके अध्यक्ष के रूप में माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री होते हैं तथा माननीय केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। बोर्ड के अन्य सदस्य हैं:-

- सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार (पदेन);
- महानिदेशक, आई.सी.ए.आर. (पदेन);
- अपर सचिव (बागवानी), कृषि एवं सहकारिता विभाग (पदेन);
- वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग (पदेन);
- मिशन निदेशक, एन.एच.एम., कृषि एवं सहकारिता विभाग (पदेन);
- बागवानी आयुक्त, कृषि एवं सहकारिता विभाग (पदेन);
- सलाहकार (कृषि), योजना आयोग (पदेन);
- अध्यक्ष, एपीडा (पदेन);
- बागवानी उद्योग के 11 प्रतिनिधि जो सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वालों, प्रख्यात बागवानी विशेषज्ञ तथा बागवानी उत्पाद के अग्रणी निर्यातकों में से हों। (इन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है)
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अथवा किसी अन्य मंत्रालय के प्रतिनिधि को अध्यक्ष की सहमति से विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है। (पदेन)
- प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड – सदस्य-सचिव

निदेशक मंडल के सदस्यों की सूची (31-03-2015 के अनुसार) संलग्नक-II में दी गई है।

ख. रा.बा.बो. की प्रबंध समिति

केन्द्रीय सचिव (कृषि एवं सहकारिता), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में इसके प्रमुख हैं। इस समिति

को बोर्ड के मामलों एवं कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। प्रबंध समिति का संघटन निम्नलिखित है:-

- i. सचिव (कृषि एवं सहकारिता विभाग) (पदेन) अध्यक्ष
- ii. |अपर सचिव/विशेष सचिव सदस्य
(बागवानी प्रभारी),
कृषि एवं सहकारिता विभाग (पदेन)
- iii. वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग सदस्य
(पदेन)
- iv. अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात सदस्य
विकास प्राधिकरण
(एपीडा) (पदेन)
- v. बागवानी आयुक्त, सदस्य
कृषि और सहकारिता विभाग (पदेन)
- vi. मिशन निदेशक सदस्य
राष्ट्रीय बागवानी मिशन,
कृषि एवं सहकारिता विभाग (पदेन)
- vii. महाप्रबंधक, नाबार्ड (पदेन) सदस्य
- viii. कृषकों का एक प्रतिनिधि सदस्य
- ix. प्रबंध निदेशक सदस्य-सचिव
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (पदेन)

संसाधन

लोग

प्रबंध निदेशक, इस बोर्ड के मुख्य कार्यपालक हैं जिनके सहायतार्थ तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रभाग हैं। स्वीकृत किए गए और भरे गए पदों के ब्योरे संलग्नक-III में दिए गए हैं।

नेटवर्क

इस बोर्ड का प्रधान कार्यालय गुड़गांव (हरियाणा) में स्थित है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के 36 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची संलग्नक-IV में दी गई है।

हमारी अवसंरचना

- ❖ 5.4 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही सुव्यवस्थित हरा-भरा परिसर।
- ❖ प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कार्य वातावरण।
- ❖ बागवानी प्रकाशनों की व्यापक शृंखला के साथ एक सुसज्जित पुस्तकालय।
- ❖ प्रधान कार्यालय में समिति हॉल, अतिथि गृह तथा कैंटीन सुविधाएँ।
- ❖ पोली हाऊस तथा नेट हाऊस हेतु प्रदर्शन इकाईयाँ।

वित्त पोषण

- ❖ बोर्ड के कार्यकलापों का वित्त-पोषण पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय के ब्योरे निम्नलिखित हैं:-

(राशि लाख रु. में)

योजना का नाम	प्राप्त अनुदान	अव्ययित शेष जमा (01-04-2014 के अनुसार)	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय
एन.एच.बी.	20644.00	984.75	21628.75	20601.97
एन.एच.एम.	263.03	29.56	292.59	249.76
एन.बी.एम.	50.00	5.23	55.23	34.69
एच.एम.एन.ई.एच.ए.
एम.ओ.एफ.पी.आई.ए.	2048.08	..	2048.08	2048.08

*अव्ययित शेष राशि भारत सरकार को वापिस भेज दी गई है।

योजनाएँ/कार्यक्रम

अपने प्रारंभ काल से ही राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएँ चलाई हैं। योजनाओं का वर्तमान सार-संग्रह उच्च गुणवत्ता वाले वाणिज्यिक उत्पादन को अर्जित करने, फसल-कटाई उपरांत अवसंरचना तथा शीत श्रृंखला सुविधाएँ सृजित करने और उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थता का एक सैट है। योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ और वर्ष 2014-15 के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:-

1 उत्पादन तथा फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

खुला क्षेत्र एवं संरक्षित परिस्थितियों में वाणिज्यिक उत्पादन इकाइयों की स्थापना से संबंधित क्रेडिट लिंकड परियोजनाएँ और फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन एवं उत्पादों के प्राथमिक प्रसंस्करण की परियोजनाएँ लागत मानकों के अनुसार इस योजना के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं। तथापि, उत्तर-पूर्वी राज्यों और संस्थानों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के लिए सहायिकी जारी करने हेतु क्रेडिट लिंकड होना आवश्यक नहीं होगा, बशर्ते वे परियोजना की शेष हिस्सेदारी की पूर्ति अपने संसाधनों से कर सकें। ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन रा.बा.बो. द्वारा अनुमोदित अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

1.1 परियोजना मोड पर खुले क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में 2 हैक्टेयर (5 एकड़) क्षेत्र कवर करने वाली परियोजनाओं हेतु एकीकृत वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाएँ शुरू करेगा जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण, उमदा खेती, जी.ए.पी. आदि शामिल होंगी। फार्म पी.एच.एम. घटकों और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई के साथ उत्पादन इकाई का एकीकरण परियोजना मोड में भी स्वीकृत किया जाएगा। नया वृक्षारोपण करने की लागत फसल-दर-फसल भिन्न-भिन्न होगी जिसपर लाभार्थी को सहायता प्रदान किए जाने के समय विचार किया जाएगा। मशरूम और ऊतक संवर्धन पर एकीकृत उत्पादन इकाई भी इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र होगी। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए फार्म मशीनरी और पी.एच.एम. अवसंरचना, सिंचाई एवं सूक्ष्म सिंचाई आदि जैसे घटक मौजूदा/नए बगीचों/परियोजनाओं में सहायता के लिए पात्र होंगे।

सहायता का तरीका

क्रेडिट लिंकड बैंक-एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 30.00 लाख और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 37.50 लाख है।

1.2 परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास

यह बोर्ड 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परियोजना मोड पर संरक्षित कवर के अधीन वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाएँ शुरू करेगा जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण आदि शामिल होंगे। ग्रीन हाऊसों, शेड नैट हाऊसों के निर्माण, प्लास्टिक मल्टिप्लिंग, और प्लास्टिक सुरंग, पक्षी/पत्थर को रोकने वाले जालों आदि जैसी गतिविधियों का संवर्धन किया जाएगा। ग्रीन हाऊसों तथा शेड नैट हाऊसों हेतु निर्माण सामग्री की किस्म का चयन करने के लिए प्रावधान किया गया है। ऐसे ढाँचों के निर्माण की लागत को कम करने के लिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने को वरीयता दी जाएगी। तथापि, सहायिकी प्राप्त करने के लिए, सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए।

सहायता का तरीका

क्रेडिट लिंकड बैंक-एन्डिड सहायिकी ग्रीन हाऊसों, शेड नैट हाऊस, प्लास्टिक सुरंग, पक्षी/पत्थर को रोकने वाले जालों और रोपण सामग्री की लागत आदि के लिए स्वीकार्य लागत मानकों के अनुसार कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 56.00 लाख है।

1.3 एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ

यह बोर्ड पैक हाऊस, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, खुदरा आउटलेटों, ग्री-कूलिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि से संबंधित एकीकृत फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू करेगा। रा.बा.बो. घटक मोड में परियोजनाएँ तथा पी.एच.एम. घटकों की अकेले चल सकने योग्य परियोजनाएँ भी शुरू करेगा।

सहायता का तरीका

क्रेडिट लिंकड बैंक-एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 50.75 लाख और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 72.50 लाख है।

उपलब्धियाँ

इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड ने रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 1053 परियोजनाएं मंजूर की थीं जिनमें रु0 7958.95 लाख की सहायिकी दी

गई। परियोजनाओं में हाई-टेक बागवानी फसलें, ऊतक संवर्धन इकाईयां, पुष्पोत्पादन इकाईयां, मशरूम खेती, पैकिंग हाऊस की स्थापना, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, खुदरा आउटलेट, प्री-कूलिंग इकाईयां, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि शामिल हैं।



पोली हाऊस में ज़रबेरा



पोली हाऊस में ज़रबेरा



कच्छ (गुजरात) में खजूर का वृक्षारोपण



गुजरात राज्य में खुले क्षेत्र में केले की खेती



गुजरात राज्य में खुले क्षेत्र में अनार की खेती



तमिलनाडु में नारियल के बगीचे का दृश्य



तमिलनाडु में आम का वृक्षारोपण



छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रीन हाऊस में लिलियम की खेती

2. बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी

घटक:

नियंत्रित वातावरण (सी.ए.) सहित शीत संग्रहगारों और उनके आधुनिकीकरण से संबंधित क्रेडिट लिंक परियोजनाएं इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं। संस्थानों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं, पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए सहायिकी जारी करने हेतु क्रेडिट लिंक होना

आवश्यक नहीं होगा, बशर्ते वे परियोजना की शेष हिस्सेदारी की पूर्ति अपने संसाधनों से कर सकें। ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन रा.बा.बो. द्वारा अनुमोदित अभिकरण द्वारा किया जाएगा।

सहायता का तरीका

5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की संग्रहण क्षमता के लिए, यह सहायता सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत के 35 प्रतिशत और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी तथा अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50 प्रतिशत की दर से दी जाएगी।



रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त सी.ए. संग्रहगार मै0 सुरुप फ्रेश प्रा0 लि0 (महाराष्ट्र)



रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त कर्नाटक में सी.ए. संग्रहगार

उपलब्धियाँ

(राशि लाख रु. में)

परियोजनाओं की सं.	जारी की गई राशि
69	10226.89

3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

उद्देश्य:

निम्नलिखित उप-घटकों के साथ वाणिज्यिकरण/अंगीकरण आदि के लिए चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए परियोजनाएँ:

घटक तथा सहायता का तरीका

घटक	सहायता का तरीका
ब्लॉक/मदर प्लांट तथा रूट स्टॉक नर्सरी की स्थापना (क्षेत्र 4 है० से अधिक)	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और वायरस इंडेक्सिंग, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आदि सहित प्रभावी नर्सरी क्षेत्र के लिए रु० 100.00 लाख/ है० की दर से केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से।
बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मूल्यांकन और व्यापक बहुलीकरण हेतु अन्य देशों से रोपण सामग्री के आयात सहित प्रौद्योगिकियों का अभिग्रहण।	रु० 50.00 लाख/परियोजना। परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से।
प्रदर्शन प्रयोजन के लिए बागवानी हेतु मशीनों तथा औजारों का आयात/खरीद।	रु० 50.00 लाख/मशीन। कुल लागत का 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। रा.बा.बो. द्वारा संवर्धित उत्पादक संघों और सहकारी सोसाइटियों तथा किसान उत्पादक संगठन के प्रस्तावों पर भी निदेशक मंडल के निदेशानुसार गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है।
प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरण	कुल लागत के 100 प्रतिशत रूप में रु० 25.00 लाख/परियोजना तक और केवल सरकारी अभिकरण/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से।
लम्बी दूरी परिवहन समाधान	परियोजना आधारित रु० 2000.00 लाख।

घटक	सहायता का तरीका
उत्पाद संवर्धन और बाजार विकास सेवाएँ – हार्टि-फेअर	रु० 25.00 लाख – केन्द्रीय नोडल अभिकरण द्वारा लागत का 100 प्रतिशत।
किसानों का रहस्योद्घाटन दौरा (राज्य के बाहर)	परियोजना आधारित – लागत के वास्तविक 100 प्रतिशत के अनुसार।
सरकारी अधिकारियों के लिए विदेश दौरा	रु० 6.00 लाख प्रति प्रतिभागी – हवाई/रेल यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क का 100 प्रतिशत।
बागवानी के विकास के लिए संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रदर्शिनियों आदि का आयोजन/भागीदारी।	<p>i. वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय आयोजन (3-5 दिन) के लिए रु० 10.00 लाख, राष्ट्रीय आयोजन के लिए रु० 5.00 लाख, राज्य-स्तरीय आयोजन के लिए रु० 3.00 लाख और जिला-स्तरीय आयोजन के लिए रु० 0.50 लाख तक सीमित होगी।</p> <p>ii. अल्पावधि (1-2) संगोष्ठियों के मामले में, वित्तीय सहायता निम्नानुसार सीमित होगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ रु० 1.00 लाख प्रति राज्य-स्तरीय आयोजन के लिए; ❖ रु० 2.00 लाख प्रति राष्ट्रीय-स्तरीय आयोजन के लिए, और ❖ रु० 3.00 लाख प्रति अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए (भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन/भागीदारी)।
फल पौध नर्सरियों का प्रमाणन और मूल्यांकन	प्रमाणन प्रणाली उत्पादन प्रणाली, नर्सरी प्रबंधन पद्धतियों और उत्पादित रोपण सामग्री की गुणवत्ता पर उपयुक्त ध्यान देते हुए एकल से पाँच सितारों के मान में मूल्यांकन पर आधारित होगी। बोर्ड ने 01-12-2014 से ऐसी सब्जी नर्सरियों के प्रमाणन और मूल्यांकन पर भी विचार करने का निर्णय लिया है जो खुले क्षेत्र अथवा नियंत्रित परिस्थिति जैसे पोली/नैट हाऊस में से किसी में सब्जी फसलों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अंकुरों का उत्पादन कर रहे हैं। रु० 1.00 लाख/नर्सरी – केन्द्रीय नोडल अभिकरण (रा.बा.बो.) द्वारा।

उपलब्धियाँ:

इस योजना के तहत, रा.बा.बो. ने नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत, प्रगतिशील किसानों के दौरों, हार्टि संगम, संगोष्ठियों/गोष्ठियों/

प्रदर्शनियों के आयोजन/भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मंदर प्लांट नर्सरियों आदि के लिए 341 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की है और ₹ 723.41 लाख की वित्तीय सहायता राशि जारी की है।



बेंगलूरु, कर्नाटक में अंतर्राज्यीय हार्टि संगम के दौरान स्टॉल का दौरा करते माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी (9 से 11 जनवरी 2015)



सी.सी.ओ.आई., नई दिल्ली में अंतर्राज्यीय हार्टि संगम के दौरान क्रेता-विक्रेता बैठक



सी.सी.ओ.आई., नई दिल्ली में अंतर्राज्यीय हार्टि संगम के दौरान किसान सम्मेलन



बेंगलूरु, कर्नाटक में अंतर्राज्यीय हार्टि संगम के दौरान माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी द्वारा उद्घाटन (9 से 11 जनवरी 2015)



सी.सी.ओ.आई., नई दिल्ली में अंतर्राज्यीय हार्टि संगम (3 से 5 जून 2014)



गोरखपुर, उ०प्र० में जागरूकता कार्यक्रम



उधमसिंह नगर, उत्तराखंड में किसान गोष्ठी एवं जागरूकता कार्यक्रम



बागलकोट, कर्नाटक में नर्सरी हेतु मदर प्लांट ब्लॉक



गुजरात राज्य में आम नर्सरी

4. बागवानी फसलों के लिए बाज़ार सूचना सेवा

रा.बा.बो. द्वारा वर्तमान में कवर किए जा रहे 36 फल तथा सब्जी बाजारों की संख्या बढ़ाकर 50 की जाएगी। यह कार्य मौजूदा विपणन/प्रोफेशनल एजेंसियों/बेरोज़गार कृषि स्नातकों अथवा मण्डी में मान्यता प्राप्त/स्थापित आढ़तियों आदि से रा.बा.बो. द्वारा यथा निर्णीत निर्धारित मासिक पारिश्रमिक (परिवहन सहित) तथा रा.बा.बो. को सूचना संप्रेषित (फैक्स, इंटरनेट और दूरभाष) करने पर वास्तविक व्यय आधार पर आउटसोर्स द्वारा करवाया जाएगा। रा.बा.बो. संबद्ध राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर इन बाजारों की पहचान करेगा। ऑन-लाइन प्राप्ति, आंकड़ा प्रविष्टि, विश्लेषण, प्रचार-प्रसार तथा वेबसाइट प्रबंधन के लिए रा.बा.बो., गुड़गाँव में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्तावित एम.आई.एस. प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य चयनित प्रोफेशनल एजेंसी की आउटसोर्स सेवाओं द्वारा भी किया जाएगा। कंप्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी पैकेज के विकास, आंकड़े प्रविष्टि आदि कार्य करने के लिए एम.आई.डी.एच. के टीएसजी घटक के अधीन अनुमोदित दरों पर जरूरत के अनुसार स्टाफ जैसे वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर और आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक तथा बागवानी सहायक आउटसोर्स किए जाएंगे। यह प्रकोष्ठ इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रौद्योगिकी पैकेजों का विकास करने और प्रचार, मुद्रित साहित्य आदि तथा स्थानीय विज्ञापनों के माध्यम से सूचना प्रचार-प्रसार के लिए जवाबदेह होगा। वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत बोर्ड द्वारा ₹0 766.40 लाख की राशि व्यय की गई है।

उद्देश्य

- ❖ महत्वपूर्ण फलों, सब्जियों तथा फूलों आदि हेतु देश के विभिन्न बाजारों में थोक मूल्यों, उनकी आवक तथा रुझानों और चयनित बाजारों की वर्धित संख्या के लिए खुदरा मूल्यों पर भी जानकारी सृजित करना।
- ❖ चयनित फल और सब्जियों जैसे संग्रहगार में स्टॉक, खड़ी फसल आदि की आवकों के रुझानों, कीमतों तथा अन्य संबंधित कारकों का विश्लेषण करना और बाजार आसूचना प्रतिवेदन सृजित करना।
- ❖ बाजार सूचना डाटा के कुशलता तथा समय पर उपयोग हेतु उसके तीव्रता से एकत्रीकरण तथा प्रसार के लिए एक राष्ट्रव्यापी संचार नेटवर्क स्थापित करना।
- ❖ विशेष रूप से उत्पादकों के सर्वोत्तम प्रतिलाभों हेतु सृजित और संग्रहीत किए गए ऐसे आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए किसानों के लिए सलाह तैयार करना और उत्पादक किसानों के लाभ के लिए इसे जारी करना।
- ❖ बागवानी डाटाबेस संग्रहीत और संकलित करना और जहाँ तक संभव हो 'फसल अनुमानन सर्वेक्षण-फल एवं सब्जियाँ' (सी.ई.एस.-एफ एंड वी) की मौजूदा प्रणाली का सुदृढीकरण।
- ❖ प्रचार, विज्ञापनों, फिल्मों, मुद्रित साहित्य आदि के माध्यम से सूचना का प्रचार-प्रसार।
- ❖ आई.टी. के माध्यम से साँझा किए जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रौद्योगिकी पैकेजों का विकास।

रा.बा.बो. के प्रकाशनों के व्योरे संलग्नक-V पर दिए गए हैं।

5. बागवानी संवर्धन सेवाएँ/विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढीकरण

इस घटक के अधीन, विशेष तरह के अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाएंगे और अध्ययन/सर्वेक्षण प्रतिवेदन लक्षित लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके अलावा, तकनीकी प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी अथवा ध्येय स्थापित किया जाएगा और सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

रा.बा.बो. द्वारा यह कार्य आउटसोर्स विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ अथवा इसके बिना किया जाएगा और इस योजना के अधीन, नोडल संगठनों अर्थात् स्वयं रा.बा.बो., राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र और इसके अधीन संगठन, केन्द्रीय सरकार के संगठनों/अभिकरणों और अन्य संगठनों जैसे

भारतीय गुणवत्ता परिषद्/एन.एच.आर.डी.एफ., आदि के माध्यम से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के अधीन रु० 926.32 लाख की राशि व्यय की गई है।

अन्य अंतर-मंत्रालय गतिविधियाँ मुख्य विशेषताएँ – वर्ष 2014-15

1. बागवानी से संबंधित एमओएफपीआई की समेकित कोल्ड चेन परियोजनाओं का कार्यान्वयन

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति से 05-01-2012 से कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना की योजना के अधीन बागवानी परियोजनाओं के लिए समेकित कोल्ड चेन अवसंरचना के मामले में परियोजना प्रबंधन कार्यान्वयन एजेंसी (पीएमआईए) की भूमिका निभाने के लिए रा.बा.बो. को नियुक्त किया है।

योजना के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा निम्नलिखित हैं:-

- i. योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार बागवानी उत्पादों से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना के अधीन रा.बा.बो. कोल्ड चेन परियोजनाएं कार्यान्वित करेगा।
- ii. उद्यमियों का चयन और उनकी परियोजनाओं का अनुमोदन एमओएफपीआई द्वारा किया जाएगा। रा.बा.बो. कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी जो प्रस्तावों की प्राप्ति, मूल्यांकन, तकनीकी समिति/अनुमोदन समिति को मूल्यांकन नोट प्रस्तुत करने, किस्तें जारी करने, प्रत्येक किस्त जारी करने से पहले परियोजना का भौतिक सत्यापन करने सहित कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिए जवाबदेह होगी।
- iii. मंत्रालय रा.बा.बो. को किस्तों में अनुदान जारी करेगा और निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार रा.बा.बो. द्वारा इसके उपयोग के बाद, रा. बा.बो. द्वारा एमओएफपीआई को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।
- iv. रा.बा.बो. इस योजना के अनुदानों के लिए उनपर अर्जित ब्याज सहित पृथक खाते व्यवस्थित करेगा।
- v. रा.बा.बो. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु किसी प्रभार के लिए हकदार नहीं होगा।

रा.बा.बो. ने आगे आई.एल. और एफ.एस. की सेवाओं का उपयोग किया था जिन्हें 22-11-2012 से परियोजना अनुवीक्षण एजेंसी (पी.एम.ए.) के रूप में

नियुक्त किया था। इस एजेंसी को 12.36 प्रतिशत के सेवा कर के अलावा योजना के अधीन अनुमोदित किए जाने वाले कुल अनुदान के 0.84 प्रतिशत की दर से प्रोफेशनल फीस प्रभार दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान पी.एम.ए. को प्रोफेशनल शुल्कों के रूप में राशि ₹ 25,65,394.00

जारी की गई इसलिए रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 2048.08 लाख की कुल राशि जारी की गई है।

वर्ष के दौरान, रा.बा.बो. ने निम्नलिखित एम.ओ.एफ.पी.आई. परियोजनाओं के लिए अनुदान जारी किए हैं:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	मंजूर की गई राशि (₹ लाखों में)	जारी की गई राशि (₹ लाखों में)	जारी किए जाने के दौरान भौतिक प्रगति
1.	मै0 ग्लोबल एनट्रेड, गुवाहाटी (असम)	936.945	468.47	भूमि विकास और बाउंड्री दीवार पूरी हो चुकी है। कार्यालय कक्ष, भंडार कक्ष, लेबर क्वार्टर्स, शौचालय, सेप्टिक टैंक और कुआँ पूरे हो चुके हैं। एकीकृत शीत श्रृंखला इकाई न्याधार स्तर तक पूरी हो चुकी है। सहायक सामग्रियों के साथ सम्पूर्ण पीईबी सामग्री संस्थापित की गई है। संयंत्र और मशीनरी के लिए आदेश जारी कर दिए गए थे।
2.	मै0 हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल लि0, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)	1000.00	500.00	3 चैम्बरों वाले कोल्ड स्टोरेज का सिविल कार्य पूरा पाया गया। एंटी कक्ष, स्पाइरल फ्रीजर सेक्शन तथा प्राप्ति सेक्शन पूरा पाया गया। संयंत्र और मशीनरी संस्थापित पाई गई।
3.	मै0 वेस्टर्न हिल फूड्स लिमिटेड, मुम्बई (महाराष्ट्र)	767.64	383.82	मुख्य कोल्ड श्रृंखला सुविधा के लिए सिविल कार्य, 4 संग्रहण केन्द्र और 4.50 लाख लिटर क्षमता का टैंक पूरा पाया गया था। तैयारी और प्रसंस्करण उपकरण, फल एवं सब्जी प्रसंस्करण तथा फ्रीजिंग सेक्शन पूरा हो चुका है। कोल्ड स्टोरेज के लिए ईटीपी, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, रैंकिंग प्रणाली कार्यात्मक पाए गए थे।
4.	मै0 उत्सव आर्गेनिक एंड कोल्ड चैन, रायपुर (म.प्र.)	607.31	288.26	दो कोल्ड स्टोरेज चैम्बर पूरे पाए गए थे और चालित स्थिति में पाए गए थे। दो और चैम्बर, टीसीडब्ल्यू तथा आंतरिक मेजेनाइन फर्श पूरे हो चुके थे और दूसरे दो न्याधार स्तर पर हैं। पीईबी ढांचा पूरा हो चुका था। संयंत्र और मशीनरी केवल कोल्ड स्टोरेज के लिए आंशिक तौर पर खरीदी जा चुकी थी। दो प्रशीतन वैन खरीदी जा चुकी थीं और प्री-कूलिंग इकाई, जी/पी शैड तथा राइनिंग चैम्बर के लिए टीसीडब्ल्यू भी पूरा हो चुका था।
5.	मै0 एम.जे. लॉजिस्टिक्स सर्विस लि0, जिला-पलवल (हरियाणा)	763.76	381.88	रेफरिजेशन रैक सिस्टम (प्री-कूलिंग चैम्बर और कोल्ड स्टोरेज, एन्टे कक्ष तथा ब्लास्ट फ्रीजर सहित चिल्लर एवं फ्रीजर) अभी स्थापित की जानी है। राइपनिंग चैम्बर और आईक्यूएफ अभी संस्थापित किया जाना है।
जोड़-क (1-11)		4075.655	2022.43

2) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मुख्यालय में हिन्दी दिवस/पखवाड़ा-2014 का आयोजन रा.बा.बो., मुख्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस/पखवाड़ा 2014

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) में प्रत्येक वर्ष हिन्दी दिवस/पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह सितम्बर 2014 में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में

रा.बा.बो. के अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हिन्दी दिवस कार्यक्रम में इन हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को स्मृति-चिह्न एवं प्रमाणपत्र और अन्य प्रतिभागियों को प्रतिभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर, भारत सरकार की नकद पुरस्कार योजना के विजेताओं को पुरस्कार राशि के चेक के साथ स्मृति-चिह्न भी प्रदान किए गए।

रा.बा.बो. प्रबंधन अपनी संस्था में संघ की राजभाषा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कृत संकल्प है और इस दिशा में निरन्तर प्रयासरत है।



रा.बा.बो. मुख्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस-2014 कार्यक्रम में हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया (15 सितम्बर 2014)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य

1. चिह्नित क्षेत्रों में उच्च-प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक बागवानी का विकास और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी गतिविधि से गुंजायमान करना जो बाद में बागवानी के विकास के लिए केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे।
2. क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के समग्र भाग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए सामान्य सुविधाओं के रूप में आधुनिक कटाई-उपरांत प्रबंधन की अवसंरचना का विकास करना।
3. ताजे बागवानी उत्पाद के लिए एकीकृत, ऊर्जा कार्यक्षम शीत श्रृंखला अवसंरचना का विकास करना।
4. प्रौद्योगिकी और जरूरत निर्धारण करने के पश्चात् वाणिज्यिकरण/अंगीकरण हेतु चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना।
5. कलम तथा प्रकंदन बैंकों/मदर प्लांट नर्सरियों की स्थापना का संवर्धन करते हुए और बागवानी नर्सरियों के प्रत्यायन/मूल्यांकन करते हुए तथा रोपण सामग्री के आवश्यकता आधारित आयातों द्वारा गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना।
6. ताजे बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देना तथा बाजार का विकास करना।
7. नए विकसित/आयातित रोपण सामग्री और अन्य कृषि निवेशों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, पी.एच.एम. प्रोटोकॉल्स, आई.एन.एम. तथा आई.पी.एम. प्रोटोकॉल्स के फील्ड परीक्षणों को बढ़ावा देना तथा उद्गम प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
8. लेबर लागत कम करने और बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी में फार्म मशीनीकरण को इसके प्रदर्शन और किसानों के खेतों में इसके उपयोग के माध्यम से बढ़ावा देना।
9. पी.एच.एम. प्रोटोकॉलों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ताजे बागवानी उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण भंडारण परिस्थितियां निर्धारित करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए तकनीकी मानकों के तलचिह्न स्तर निर्धारित करना आदि।
10. उत्पादकों/किसानों तथा सेवा प्रदाताओं जैसे बागवानों, मालियों, फार्म स्तर पर कुशल कामगारों, कोल्ड स्टोरेजों में परिचालक, ताजे बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण सहित फसल-कटाई उपरांत प्रबंधन करने वाले कार्यबल और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
11. बागवानी उत्पाद और उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देना।
12. रेल आदि के माध्यम से बागवानी उत्पाद के थोक आवागमन के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान को बढ़ावा देना।
13. बागवानी के व्यवस्थित विकास के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतियाँ विकसित करने और अवरोधों की पहचान करने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण करना तथा सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची (31.03.2015 के अनुसार)

क्रम सं०	निदेशक का नाम	स्थिति
1	श्री राधा मोहन सिंह माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री कृषि भवन, नई दिल्ली ।	पदेन अध्यक्ष
2	श्री संजीव कुमार बलियान माननीय कृषि राज्य मंत्री कृषि भवन, नई दिल्ली ।	पदेन उपाध्यक्ष
3	श्री आशीष बहुगुणा सचिव (कृषि एवं सहकारिता) एवं अध्यक्ष, प्रबंध समिति, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
4	डॉ. एस. अय्यप्पन महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
5	श्री राघव चंद्र अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
6	श्री डी.के. जैन अपर सचिव कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
7	श्री संजीव चोपड़ा संयुक्त सचिव (एनएचएम) कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
8	डॉ. एस.के. मल्होत्रा बागवानी आयुक्त कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
9	श्री जे.पी. मिश्रा सलाहकार (कृषि), योजना आयोग योजना भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
10	श्री संतोष सरंगी, अध्यक्ष कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया 3, एनसीयूआई भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
11	श्री जे.पी. मीणा अपर सचिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पंचशील भवन, नई दिल्ली - 110049	पदेन सदस्य

क्रम सं०	निदेशक का नाम	स्थिति
12	श्री श्रीधर शंकरराव ठाकरे ए/पी अश्वी, तालुका- अश्वी जिला - वर्धा (महाराष्ट्र)	गैर-सरकारी सदस्य
13	श्री एम. बाबू 16/2, हेनागरा मेन रोड हेनागरा, अनेकल तालुका, जिला बैंगलोर - 560105, कर्नाटक स्टेट	गैर-सरकारी सदस्य
14	श्री बी.के. चेना, जयरामपुर टाऊन पी.ओ. एवं पी.एस. जयरामपुर जिला चंगलांग, अरुणाचल प्रदेश	गैर-सरकारी सदस्य
15	श्री अजीत घोरपडे, शेतकारी सहकारी दूध संघ कावाथेहयानकल एट/पोस्ट/तह - कावाथेमहानकल जिला - सांगली, महाराष्ट्र - 416415	गैर-सरकारी सदस्य
16	श्री सी. संबाशिवा राव सुपुत्र श्री लक्ष्मण राव फ्लैट सं. 301, उदया क्रैस्ट न्यू बकारम, हैदराबाद - 500080	गैर-सरकारी सदस्य
17	श्री इंसाराम अली अध्यक्ष, भारतीय आम उत्पादक संघ, मैंगो हाउस, मल्लिहाबाद लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	गैर-सरकारी सदस्य
18	श्री फिरोज एन. मसानी हीराबाग, गंगापुर बी.ओ. वाया-वाईसीएमओयू पो.ओ. नासिक - 422222 (महाराष्ट्र)	गैर-सरकारी सदस्य
19	श्री जी. गुरुसिद्धाय नं० 29, द्वितीय क्रॉस, सिन्डीकेट बैंक कॉलोनी अराकेरा गेट, बानेरखाटा रोड बंगलौर- 560076 (कर्नाटक)	गैर-सरकारी सदस्य
20	श्री आर.के. केडिया राधा कृष्णा इम्पैक्स प्रा० लि० राधा कृष्णा निवास, सिकन्दरपुर मुजफ्फरपुर (बिहार)	गैर-सरकारी सदस्य
21	श्री आर. मूर्ति सचिव फूल उत्पादक संघ # 261ए पांचवीं गली, आनन्दगिरि, कोडयकनाल तमिलनाडू, डिन्डीगुल- 624101	गैर-सरकारी सदस्य
22	श्री सोपान एस. कंचन इरीगेशन कॉलोनी, इपीओ : उरुली कंचन, जिला पुणे - 412202	गैर-सरकारी सदस्य
23	डॉ. ए.के. सिंह प्रबंध निदेशक, रा.बा.बो., गुडगांव	पदेन सदस्य-सचिव

प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी है। श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, आई.ए.एस. 01-04-2014 से 24-01-2015 के दौरान प्रबंध निदेशक थे और डॉ. ए.के. सिंह ने 19-02-2015 से प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। बोर्ड का मुख्यालय गुड़गांव में है और पूरे देश में इसके 36 केन्द्र हैं। प्रबंध निदेशक को तकनीकी और प्रशासनिक प्रभागों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। बोर्ड में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 155 है।

31.03.2015 के अनुसार स्वीकृत पदों का वर्तमान स्थिति सहित ब्यौरा

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	वेतन ग्रेड	वर्तमान स्थिति		
				स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पद	रिक्त पद
समूह “क”						
1	प्रबंध निदेशक	37400—67000	10000	1	1	.
2	अपर प्रबंध निदेशक	37400—67000	8900	1	1	.
3	निदेशक (कार्मिक)	15600—39100	7600	1	.	1
4	संयुक्त निदेशक	15600—39100	6600	5	5	.
5	संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)	15600—39100	6600	1	1	.
6	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600—39100	5400	1	1	.
7	उप निदेशक	15600—39100	5400	30	25	5
			कुल	40	34	6
समूह “ख”						
1	लेखा अधिकारी	9300—34800	4600	1	1	.
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800	4600	3	2	1
3	तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर)	9300—34800	4600	2	2	.
4	प्रशासनिक अधिकारी	9300—34800	4200	1	1	.
5	वरिष्ठ लेखाकार	9300—34800	4200	2	2	.
6	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक	9300—34800	4600	1	1	.
7	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी	9300—34800	4200	18	16	2
8	हिंदी अनुवादक	9300—34800	4200	1	1	.
9	कनिष्ठ लेखाकार	9300—34800	4200	2	1	1
10	बागवानी अधिकारी	9300—34800	4200	17	7	10
			कुल	48	34	14

क्र. सं.	पद का नाम	वेतनमान	वेतन ग्रेड	वर्तमान स्थिति		
				स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गये पद	रिक्त पद
समूह "ग"						
1	निजी कार्यपालक	5200—20200	2400	5	4	1
2	कम्प्यूटर कार्यपालक	5200—20200	2400	7	6	1
3	अवर श्रेणी लिपिक	5200—20200	1900	5	4	1
4	हिन्दी टंकक	5200—20200	1900	1	1	.
5	चालक	5200—20200	1900	3	3	.
6	इलेक्ट्रीशियन—सह टयूबवेल ऑपरेटर	5200—20200	1900	1	1	.
			कुल	22	19	3
समूह "घ"						
1	संदेशवाहक / मल्टी टासकिंग स्टाफ	5200—20200	1800	40	39	1
2	माली	5200—20200	1800	5	5	.
			कुल	45	44	1
कुल योग						
1	समूह "क"			40	34	6
2	समूह "ख"			48	34	14
3	समूह "ग"			22	19	3
4	समूह "घ"			45	44	1
कुल				155	131	24

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की इकाई/शाखा कार्यालयों की उनके सम्पूर्ण पते सहित सूची

01	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड प्लॉट नं. 60, तृतीय तल, कृष्णा अपार्टमेंट, आजाद सोसायटी, अम्बावाडी, अहमदाबाद - 380015 टेली/फैक्स : 079- 26766416, 26766413 ई-मेल : nhbahd@yahoo.co.in	07	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एससीओ-85, द्वितीय तल, सैक्टर-40 सी चंडीगढ़ - 160047 टेली/फैक्स : 0172- 2625249, 2625269 ई-मेल : nhb_chd@yahoo.co.in
02	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 14/43, दूसरा तल, प्रथम व द्वितीय स्टेज इंडस्ट्रीयल सबअर्ब, तुमकुर रोड, यशवंतपुर, बैंगलोर - 560022 टेली/फैक्स : 080.23371935ए 23374149 ई-मेल : nhbbbr@yahoo.com	08	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 19-22 (गैराज), कृषि भवन, नई दिल्ली - 110011 टेली/फैक्स : 011- 23073019, 23097015 ई-मेल : nhbdelhi@gmail.com
03	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 32, पुरजोर हाउस, प्रथम तल, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम पी नगर, जोन-1, भोपाल - 462011 टेली/फैक्स : 0755-2761741 ई-मेल : bplnhb@rediffmail.com	09	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड चंग चौब बिल्डिंग, निकट नायुमा टेलिविजन तिब्बत रोड गंगटोक - 737101 टेली/फैक्स : 03592-208453, 220975 ई-मेल : nhbgangtok@yahoo.com
04	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एन-1/7, आई.आर.सी. गांव, नयापल्ली, सी.आर.पी.एफ गेट के सामने भुवनेश्वर - 751015 टेली/फैक्स : 0674- 2558134, 2555943 ई-मेल : nhbbbsr@gmail.com	10	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड छिब्रर हाउस, चतुर्थ तल, दिसपुर पी.ओ., गुवाहाटी- 781005 टेली/फैक्स : 0361-2343719, 2340695 ई-मेल : nhbgghy@gmail.com
05	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं0 317, चतुर्थ तल, सैन्ट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग, एपीएमसी फ्रूट मार्केट कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-19, तुरभे वाशी नवी मुम्बई - 400703 टेली/फैक्स : 022-27830107 ई-मेल : nhbpune@gmail.com	11	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 2, 5-9-195, विलियम निवास चिराग अली लेन, एबीआईडीएस, हैदराबाद - 500001 टेली/फैक्स : 040-23201140, 2320806 ई-मेल : nhb.govhyd@gmail.com
06	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मयुख भवन, द्वितीय तल, सॉल्ट लेक, सेक्टर-2, कोलकाता - 700091 टेली/फैक्स : 033- 23377182 / 23211259 ई-मेल : nhb_kolkata@yahoo.com	12	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वितीय तल, मोडक प्रियाय, प्लॉट सं. 16 व 17, नियर न्यू आतिश मार्केट शिपरा पथ, मानसरोवर जयपुर - 302020 टेली/फैक्स : 0141-2399405, 2390818 ई-मेल : nhbjpr@yahoo.com

13	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मार्फत बागवानी निदेशक बागवानी कॉम्प्लैक्स कैन्ट रोड जालंधर (पंजाब) टेली/फैक्स : 0181-223048	20	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड यूआर-10, उप्पलम रोड स्टेटस, त्रिवेन्द्रम - 695001 टेली/फैक्स: 0471-2470505, 2470506 ई-मेल : nhbtvm@gmail.com
14	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मार्फत बागवानी निदेशक 2, सप्रु मार्ग, उद्यान भवन लखनऊ - 226001 टेली/फैक्स : 0522-2623374 / 2202420, 4072096 ई-मेल : nhbiko@rediffmail.com	21	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म्युनिशिपल स्टेडियम कॉम्प्लैक्स विजयवाड़ा - 520010 टेली/फैक्स : 0866- 2473351
15	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मॉड्यूल नं. 37, द्वितीय तल, सिडको रेडिमेड गारमेन्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुडंडी, चेन्नई - 600032 टेली/फैक्स : 044-22501151 / 22500965 ई-मेल : nhbtn@yahoo.com	22	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हॉल नं. 307, ए-2, तृतीय तल, साउथ ब्लॉक, बाहु प्लाजा, रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू - 180004 टेली/फैक्स : 0191-2474349, 2474112 ई-मेल : nhbjammu@rediffmail.com
16	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तृतीय तल, एमईसीएल कॉम्प्लेक्स (नजदीक टीवी टॉवर), सेमिनरी हिल्स, नागपुर - 440006 टेली/फैक्स : 0712-2513030, 2513110 ई-मेल : nhbnagpur@rediffmail.com	23	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी. पंवार मार्केट यार्ड, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नं. 1, पेठ रोड, पंचवटी, नाशिक- 422003 टेली/फैक्स : 0253-2534558, 2533715 ई-मेल : nhbnashik@yahoo.com
17	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड वर्मा सेंटर, 5वां तल कमरा नं. 501, 502 बोरिंग कैनाल रोड, पटना - 800001 टेली/फैक्स : 0612-2541218, 2541128 ई-मेल: nhbpatna@gmail.com	24	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एमसीआईआर बिल्डिंग, 132/बी, भामभुरदा भोंसले नगर, पुणे - 411007 टेली/फैक्स : 020-25530582-83 ई-मेल : nhbpune@yahoo.com nhbpune@gmail.com
18	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एचपीएमसी,, द्वितीय तल, निगम विहार शिमला - 171002 टेलीफोन/फैक्स : 0177-2622908 / 623801 ई-मेल : nhbhp2004@yahoo.com	25	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मार्फत अधीक्षक गार्डन, शाहजहां पार्क, ताजगंज, आगरा - 282001 टेली/फैक्स : 0562-2331470
19	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हार्टिकल्चर कॉम्प्लैक्स राजबाग श्रीनगर - 190008 टेली/फैक्स : 0191-2474349 (पीपी) ई-मेल : nhbjammu@rediffmail.com	26	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 133/54, "ओ" ब्लॉक किदवई नगर कानपुर (उ०प्र०) टेली/फैक्स : 0512-2607631
		27	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड रेजिडेन्सी कोठी (कॉम्प्लैक्स) इन्दौर - 452001 टेली/फैक्स : 0731-2701522

28	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड लक्ष्मी निवास, कृषि भवन, कांके रोड, रांची- 834008 टेली/फैक्स : 0651-2230132, 2233832 ई-मेल : nhbranchi@gmail.com
29	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 310/311, तृतीय तल, आई.डी. शॉपिंग सेन्टर, निकट शिवाजी मूर्ति सहारा दरवाजा सूरत - 395003 टेली/फैक्स : 0261-2311343
30	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड प्लॉट नं. 142, प्रथम तल सिक्कलर स्ट्रीट एक्सटेंशन बिबीकुलम, मदुरै - 625002 टेली/फैक्स : 0452-2531195
31	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मकान नं० 470, अशोका सिनेमा के पीछे दीवान कॉलोनी करनाल - 132001
32	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मार्फत बागवानी निदेशालय कमरा नं. 13, द्वितीय तल, खेती भवन, रणजीत एवेन्यू अमृतसर - 143001 टेली/फैक्स : 0183-2500236

33	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड विकास भवन, फाजिल्का रोड, अबोहर- 152116 टेली/फैक्स : 01634-230822
34	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि उत्पादन मण्डी समिति, नवीन मण्डी स्थल, निरंजनपुर देहरादून - 248171 (उत्तराखंड) टेली/फैक्स : 0135-2761922, 2762767 ई-मेल : nhb_dehradun@yahoo.com
35	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म.नं. 42, प्रथम तल, जल विहार कॉलोनी, नियर रॉटरी क्लब ऑफ इण्डिया, तेलीबंदहा, रायपुर - 492001 (छत्तीसगढ़) टेली/फैक्स : 0771-2423992 ई-मेल : nhbraipur@yahoo.co.in
36	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मार्फत क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दिल्ली - सहारनपुर रोड, बडौत (बागपत) - 250611 (उ.प्र.) टेलीफैक्स : 01234-251723 ई-मेल : nhbbaraut_2007@yahoo.com

संलग्नक-V

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रकाशनों की सूची

नियमित प्रकाशन

1	बागवानी सूचना सेवा (मासिक) – वार्षिक अंशदान – वाणिज्यिक संगठन – संस्थान एवं पुस्तकालय – एक प्रति	750/- रुपए 650/- रुपए 75/- रुपए
2	फैक्ट्स एण्ड फिगर्स (भारतीय फल एवं सब्जियाँ)	600/- रुपए
3	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड उत्पादन वार्षिक पुस्तक — 1997	500/- रुपए
4	भारतीय बागवानी डाटाबेस (1998)	850/- रुपए
5	भारतीय बागवानी डाटाबेस (1999)	500/- रुपए
6	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2000)	300/- रुपए
7	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2001)	650/- रुपए
8	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2002)	650/- रुपए
9	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2003) (सीडी-रोम सहित)	850/- रुपए
	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2003) (सीडी-रोम बिना)	650/- रुपए
	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2003) (केवल सीडी-रोम)	250/- रुपए
10	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2004)	650/- रुपए
11	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2005)	700/- रुपए
12	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2006)	700/- रुपए
13	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2008)	700/- रुपए
14	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2009)	700/- रुपए
15	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2010)	700/- रुपए
16	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2011)	700/- रुपए
17	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2012)	700/- रुपए
18	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2013)	700/- रुपए
19	भारतीय बागवानी डाटाबेस (2014)	700/- रुपए
अन्य प्रकाशन		
1	मधुमक्खी पालन पर प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन	75/- रुपए
2	होलसेल मार्किटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन मेट्रोपोलेटन सिटीज (1991-95)	400/- रुपए
3	होलसेल मार्किटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन मेट्रोपोलेटन सिटीज (1995-99)	300/- रुपए
4	एप्रोचेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर हार्टिकल्चर	500/- रुपए
5	हार्टिकल्चर इन इंडिया	500/- रुपए
6	इंडियन हार्टिकल्चर – ए रोड मैप	500/- रुपए

नोट: डिमांड ड्राफ्ट राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के पक्ष में भेजा जाना है जो कि गुडगांव (हरियाणा) पर देय हो।

वर्ष 2014–2015 के लिए
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
के वार्षिक लेखे

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक — लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL)
CHANDIGARH – 160017

क्रमांक/No.: पी.डी.ए.(सी.)के.व्यय/एसएआर/2015-16/134
दिनांक/Dated : 15-12-2015

सेवा में,

सचिव,
कृषि मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषय: 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गाँव के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

महोदय,

मैं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गाँव के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संलग्न कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत होने तक गोपनीय रखा जाए।

कृपया इसकी प्रस्तुति के बाद उपरोक्त रिपोर्ट की पांच प्रतियां भेजें।
कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

संलग्न: उपर्युक्त।

भवदीय

ह0/—
प्रधान निदेशक

निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गाँव को 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रति सूचनार्थ अग्रेषित।

ह0/—
उप निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के 31 मार्च, 2015 तक के संलग्न किए गए तुलन-पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20 (1) के अंतर्गत की है। 2016-17 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा कार्य सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरणियाँ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर मत प्रकट करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उत्तम लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों तथा प्रकटीकरण मानकों इत्यादि से अनुरूपता, वर्गीकरण से सम्बन्धित केवल लेखांकन प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियाँ समाविष्ट हैं। कानून, नियम एवं विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता-सह-निष्पादन पहलूओं इत्यादि, यदि कोई हों, कि अनुपालना से सम्बन्धित वित्तीय सम्पादनों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ पृथकतः निरीक्षण रिपोर्टों/सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सूचित किए जाते हैं।

3. हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की है। ये मानक अपेक्षा करते हैं कि हम, ये उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय विवरणियाँ भौतिक अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं, लेखापरीक्षा आयोजन तथा सम्पन्न करें। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरणों तथा राशियों को समर्थन देने वाले प्रमाण, नमूना आधार पर परीक्षण सम्मिलित करती है। एक लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अतिरिक्त प्रबन्धन द्वारा उपयोग किए गए लेखापरीक्षा सिद्धान्तों का निर्धारण तथा प्रबन्धन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण आकलनों को भी सम्मिलित करती है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे मत को उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम सूचित करते हैं कि:-

- i) हमने सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण, जो हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए हैं।
- ii) इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
- iii) हमारे मत में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गाँव द्वारा लेखाओं की समुचित बहियाँ तथा अन्य संबंधित अभिलेख अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि ये, ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रकट होते हैं।
- iv) हम आगे सूचित करते हैं कि :

क. सामान्य:

क-1. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में कर्मचारियों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर भुगतान योग्य उपदान के संबंध में प्रोद्भवन आधार पर गणना किए जाने का प्रावधान है और कर्मचारियों की संचयित छुट्टी नकदीकरण लाभ हेतु प्रोद्भूत प्रावधान है और यह मानकर गणना की जाती है कि कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के अन्त में लाभ प्राप्त करने का हकदार है। आईसीएआई का एस-15 यह दर्शाता है कि कर्मचारी हितलाभ बाध्यताओं को बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति पर किया जाना है। अतः बोर्ड के कर्मचारी लाभों की गणना लेखांकन मानक 15 के अनुरूप नहीं है।

क-2. बोर्ड ने वर्तमान देयता पर अप्रयुक्त अनुदानों के रु0 8.48 करोड़ की देयता उपलब्ध नहीं करवाई है।

ख. सहायता अनुदान

कुल उपलब्ध निधियों रु0 242.74 करोड़ (पिछले वर्ष की रु0 10.34 करोड़ के अव्ययित शेष, वर्ष 2014-15 के दौरान प्राप्त रु0 230.05 करोड़ के अनुदान, रु0 2.35 करोड़ की बोर्ड की विविध प्राप्तियों सहित) में से बोर्ड रु0 229.42 करोड़ उपयोग कर सका था और 31 मार्च 2015 को अप्रयुक्त रु0 8.48 करोड़ के शेष को छोड़कर रु0 4.84 करोड़ वापिस किए गए।

- v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट से संव्यवहारित तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा बही खातों के अनुसार है।
- vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियां, उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुबंधों में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन, भारत में सामान्यतः स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सत्य और सही मत देते हैं:
- क) जहां तक 31 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गाँव के कार्यों की स्थिति का तुलन-पत्र से संबंध है; और
- ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

ह0/-
प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (केन्द्रीय), चण्डीगढ़

स्थान : चण्डीगढ़
दिनांक: 15-12-2015

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए अनुबंध

1. आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता

राबाबो, गुड़गांव का वर्ष 2014–15 का आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार फर्मों को सौंपा गया था।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण को इस प्रकार अपर्याप्त माना गया है:

- (i) बोर्ड ने अभी तक अपना लेखांकन मैनुअल तैयार नहीं किया है; और
- (ii) राबाबो का चण्डीगढ़ केन्द्र लेखों को प्रोद्भवन आधार की बजाए नकदी आधार पर बना रहा है। वर्ष 2014–15 के दौरान, राबाबो, चण्डीगढ़ केन्द्र में कोई भी जर्नल वाउचर पास नहीं किए गए थे, क्योंकि केन्द्र द्वारा सिंगल एन्ट्री सिस्टम को अपनाया जा रहा है।

3. अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

31-03-2015 को जैसा कि तुलन-पत्र में दिखाया गया है, अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

4. वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन

31-03-2015 को जैसा कि तुलन-पत्र में दिखाया गया है, वस्तुसूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था।

5. सांविधिक देयताएं

लेखा बहियों के अनुसार, बोर्ड अविवादित सांविधिक देयताओं को नियमित रूप से जमा कर रहा है।

ह0/—
उप निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

गुड़गांव


तुलन पत्र


31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
समग्र/पूंजी निधि तथा देयताएँ			
समग्र/पूंजी निधि	1	1,270,290,541	1,206,885,573
आरक्षित और अधिशेष	2	.	.
अभिचिह्नित/संचयी निधि	3	7,063,587	4,940,099
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	.	.
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	.	.
आस्थागित साख देयताएं	6	.	.
चालू देयताएं तथा प्रावधान	7	366,801,543	350,110,671
योग		1,644,155,671	1,561,936,343
परिसंपत्तियां			
अंचल परिसंपत्तियां	8	21,244,630	22,928,906
निवेश – अभिचिह्नित/संचयी निधि से	9	.	.
निवेश-अन्य	10	.	.
चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा पेशगी	11	1,622,911,041	1,539,007,437
विविध खर्च (बटूटे खाते अथवा समायोजित नहीं किया)		.	.
योग		1,644,155,671	1,561,936,343
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25		

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./-
प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
अपर प्रबंध निदेशक



हस्ता./-
संयुक्त निदेशक


राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुडगांव
आय तथा व्यय लेखा
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए


(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
विविध सेवाओं से आय	12	24,147,572	73,031
अनुदान/सहायिकी	13	2,064,400,000	2,705,694,000
शुल्क/अभिदान	14	.	.
निवेशों से आय	15	.	.
(अभिचिह्नित/संचयी निधियों से अंतरित निधियों से निवेश पर आय)			
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	34,975	73,725
अर्जित ब्याज	17	108,941,199	105,258,732
अन्य आय	18	844,887	1,356,570
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) तथा डब्ल्यूआईपी	19	.	.
योग (क)		2,198,368,633	2,812,456,058
व्यय			
स्थापना व्यय	20	81,298,631	72,124,700
अन्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि	21	23,500,789	17,244,222
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	1,969,028,753	2,713,789,125
ब्याज	23	76,017	20,942
मूल्यहास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अंत में निवल योग)	8	3,075,718	3,430,444
योग (ख)		2,076,979,908	2,806,609,433
व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क-ख)			
- आवेदन फार्म तथा योजना ब्राउशर की लागत राशि के अलावा निधियों हेतु		97,241,153	5,773,594
- आवेदन फार्म तथा योजना ब्राउशर की लागत राशि		24,147,572	73,031
संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु अंतरित (पिछला भाग)		(1,770,349)	(18,317,365)
आवेदन प्रपत्र तथा योजना ब्राउशर राशि से इतर के लिए समग्र/पूँजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष/(घाटा)		99,011,502	24,090,959
आवेदन प्रपत्र तथा योजना ब्राउशर राशि के लिए समग्र/पूँजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष/(घाटा)		24,147,572	73,031
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25		

स्थान : गुडगांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./-
प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2014.15 वर्तमान वर्ष	2013.14 पिछला वर्ष	भुगतान			2014.15 वर्तमान वर्ष	2013.14 पिछला वर्ष
			1. व्यय	रा.बा.बो. योजनाएं, उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा	उत्तर-पूर्वी राज्य		
1. प्रारम्भिक शेष क) हाथ में रोकड़ ख) बैंक शेष 1.) चालू खाते में	86,673	107,482	क) स्थापना व्यय ख) प्रशासनिक व्यय 2. विभिन्न योजनाओं की निधियों के समक्ष किए गये भुगतान			62,160,112 23,580,930	65,778,843 17,098,164
2.) जमा खाते में 3.) बचत खाते में	725,000,000 247,631,493	675,000,000 410,470,882					
4.) जमा खाते में (प्रक्रिया शुल्क/आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर खाते की लागत)	220,000,000	220,000,000					
2. प्राप्त अनुदान क.) भारत सरकार से 1.) रा.बा.बो. की योजनाओं के लिए - उत्तरी-पूर्वी राज्यों के अलावा - रा.बा.बो. के बजट से - एनएचएम बजट से - उत्तरी-पूर्वी राज्यों के लिए 2.) एनएचएम की योजनाओं के लिए : - शीतागार योजना के लिए - टीएसजी घटक के लिए	1,998,600,000 65,800,000	1,968,000,000 678,000,000 59,694,000	1) उत्पादन एवं फसल कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास - सहायिकी - विधिक एवं व्यावसायिक खर्च 2) बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तारण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी - रा.बा.बो. योजना - एचएमएनईएच योजना	792,226,928 715,250	2,952,709	795,179,637 715,250	1,255,102,063 3,787,448
3.) एचएमएनईएच योजना के लिए - उत्तर पूर्वी राज्य एवं सिकिम - - जम्मू, कश्मीर, उत्तराखंड, हि.प्र.	26,303,000	20,000,000	3) बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण 4) बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा 5) बागवानी संवर्धन सेवाएं	969,189,000	53,500,118	1,022,689,118	1,312,190,762 116,002,000
		126,360,000		68,530,498 75,929,237 2,173,604	3,811,409	72,341,907 75,929,237 2,173,604	59,693,565 72,566,895 9,590,606

प्राप्तियाँ	2014.15	2013.14	भुगतान	2014.15	2013.14
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
4.) एनबीएम की योजनाओं के लिए	5,000,000	902,000			
5.) एमएफपीआई की योजनाओं के लिए	204,808,394	214,680,613			
6.) राष्ट्रीय केसर मिशन योजनाओं के लिए					
ख) राज्य सरकार से					
			6) राष्ट्रीय बन्धू मिशन (समर्थन सेवाएं)	3,468,967	2,495,794
			7) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (टीएसजी)	24,976,235	18,863,239
			8) राष्ट्रीय केसर मिशन	1,418,548	35,768,845
			9) एमओएफपीआई	204,808,394	265,806,273
3. निम्नवत निवेशों पर आय			3. किए गये निवेश एवं जमा		
क) अभिविहिनित / संचयी निधि			क) अभिविहिनित / बंदोबस्ती निधियों से		
ख) स्वामित्व निधिया (अन्य निवेश)			ख) स्वामित्व निधियों से (अन्य निवेश)		
4. प्राप्त ब्याज			4. अचल परिसंपत्तियों एवं प्रगतिधीन कार्य पर पूंजीगत व्यय		
क) बैंक जमा और बचत बैंक खातों के लिए			क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद / संवर्धन		
- रा.बा.बो. निधियां	104,818,569	108,881,065	1) रा.बा.बो. की क्षमताओं को सुदृढ़ करने के बजट से	681,073	2,052,844
- एनएचएम निधियां	172,302	764,659	2) बाजार सूचना सेवा योजना के बजट से	710,367	825,056
- एनबीएम निधियां	90,279	65,576	ख) प्रगतिधीन कार्य पर पूंजीगत व्यय		
-एचएमएनईएच निधियां	723,579	3,495,234	5. अधिशेष धन / ऋण की वापसी		
-एमओएफपीआई निधियां	673,792	1,322,773	क) भारत सरकार को		
-राष्ट्रीय केसर मिशन निधियां	421,659	1,451,845	-एचएमएनईएच	723,579	71,427,529
ख) ऋण, अग्रिम आदि			-एमएफपीआई	673,792	3,673,763
			- कृषि एवं सहकारिता विभाग		
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)			आंतरिक प्रोद्भूत से		
आईओबी से किराया	168,180	168,180	सहायता अनुदान से	46,341,000	
			ख) राज्य सरकार को	18,330,000	
			ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को		

प्राप्तियाँ	2014.15	2013.14	भुगतान		2014.15	2013.14
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत	38,970,687	14,885,599	6. बैंक द्वारा स्रोत पर काटा गया टीडीएस		3,935,249	8,795,725
विविध प्राप्तिया						
जमा की गई जमानत राशि	423,629	179,879	7. अन्य भुगतान (निर्दिष्ट)		2,874,323	351,800
केन्द्रों पर जमा की गई जमानत राशि		80,000	स्टाफ को अग्रिम		665,000	
की वापिसी		247,879	जमानत राशि वापसी			
वर्ष के दौरान प्राप्त जीएसएलआईपी			अन्य को अग्रिम		496,869	
6. उधार ली गई राशियाँ		74,874				
7. अन्य प्राप्तियाँ (ब्यौरे दें)			8. आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत से भुगतान			
क) स्टाफ को अग्रिम की वसूली (ब्याज सहित)	1,015,035	1,870,581	— सविदागत जटा एंटी आफरेंटों को भुगतान		9,126,317	8,366,529
ख) रा.बा.बो. योजनाओं के तहत ऋण की वसूली	3,038,281	18,562,236	— कोल्ड स्टोरेज सर्वेक्षा शुल्क		4,879,514	4,875,716
ग) रा.बा.बो. योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों जिन्हें पिछले वर्ष में निधियाँ जारी की गई थीं से वापस प्राप्त अव्यमित निधियाँ			— विशेषज्ञों का यात्रा व्यय एवं परामर्शी शुल्क		229,700	1,054,075
— उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए			— रा.बा.बो. प्रकाशनों हेतु भुगतान		353,084	516,248
— उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा	4,489,760	3,642,285	— वेबसाइट की एएमसी		234,500	
घ) पिछले साल के पुराने चैक राशि की वापसी			9. अंत शेष			
— उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए			क) हाथ में रोकड़			
— उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा	427,134	494,305	मुख्यालय पर	18,492		
			राबाबो केन्द्रों पर	104,554	123,046	86,673
			ख) बैंक शेष			
			1) चालू खातों में			
			2) जमा खातों में (राबाबो की आंतरिक प्रोदमुत राशि)			
			3) जमा खातों में (प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत)		780,000,000	725,000,000
					220,000,000	220,000,000


प्राप्तियां	2014.15		2013.14		भुगतान	2014.15		2013.14	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		
					4) बचत खातों में				
					- रा.बा.बो. केन्द्रों पर - अग्रदाय राशि			7,821,383	5,197,386
					- रा.बा.बो. केन्द्रों पर - सहायिकी राशि			2,415,199	4,760,702
					- रा.बा.बो. केन्द्रों पर - आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत			2,857,362	288,632
					- मुख्यालय पर				
					- रा.बा.बो. योजनाओं एवं आंतरिक प्रोद्भूत हेतु			144,257,884	196,559,058
					- आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत के लिए			104,427,678	35,880,821
					- एनएचएम योजना के लिए			4,447,117	2,813,023
					- एनबीएम योजना के लिए			1,948,069	452,512
					- एचएमएनईएच योजना के लिए				
					- राष्ट्रीय केसर मिशन के लिए			464,330	1,466,016
					- एमओएफपीआई योजनाओं के लिए				
					- राबोबो दिल्ली केन्द्र पर एनएचएम योजना के लिए			7,897	142,924
					- राबोबो दिल्ली केन्द्र पर एनबीएम योजना के लिए			196,173	70,418
योग		3,648,662,447		4,529,401,948	योग			268,843,094	3,648,662,447
									4,529,401,948


प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा
वर्ष 2014-15 के लिए स्थापना व्यय


(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	ईपीएफ (बोर्ड की भागीदारी)	10,187,242	9,848,183
2	छुट्टी नकदीकरण	1,625,974	3,009,615
3	छुट्टी यात्रा रियायत दावे	978,922	1,392,888
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	4,017,224	4,654,950
5	वेतन एवं भत्ते	42,345,577	42,733,866
6	समयोपरि भत्ता	4,959	10,868
7	कर्मचारी कल्याण	550,919	438,650
8	बोनस	385,676	124,540
9	बच्चों के शिक्षा भत्ता	1,198,191	737,946
10	वर्ष के दौरान प्रदत्त उपदान	789,294	2,827,337
11	जीएसएलआईपी	76,134	.
	कुल	62,160,112	65,778,843

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./-
प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
अपर प्रबंध निदेशक



हस्ता./-
संयुक्त निदेशक


प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा
वर्ष 2014-15 के लिए प्रशासनिक व्यय


(राशि रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	विद्युत और ऊर्जा	2,350,633	1,770,307
2	बैंक प्रभार	76,017	20,942
3	जनरेटर चालन तथा अनुरक्षण	792,900	914,028
4	बीमा	19,808	17,048
5	मरम्मत एवं रखरखाव	5,848,784	469,014
6	सुरक्षा तथा गृह-व्यवस्था व्यय	3,531,231	3,110,175
7	वाहन का चालन तथा अनुरक्षण	282,891	345,915
8	डाक, दूरभाष और संचार प्रभार	950,911	923,546
9	मुद्रण तथा स्टेशनरी	820,883	1,307,750
10	वाहन व यात्रा	5,098,752	5,118,320
11	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	65,197	52,859
12	कार्यालय व्यय	632,615	284,106
13	बैठक/सत्कार पर व्यय	169,352	233,936
14	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक /शुल्क	493,370	602,078
15	विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	1,267,810	668,999
16	विज्ञापन तथा प्रचार	610,929	672,768
17	फोटोकापी प्रभार	568,846	586,373
	कुल	23,580,930	17,098,164

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./-
प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
अपर प्रबंध निदेशक



हस्ता./-
संयुक्त निदेशक


राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुड़गांव
तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां
31 मार्च, 2015 को


(राशि रुपयों में)

अनुसूची 1-समग्र/पूँजी निधि	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
वर्ष के प्रारंभ में शेष				
क. प्रक्रियां शुल्क और आवेदन प्रपत्र राशि के अतिरिक्त अन्य निधियों हेतु	926,741,609		927,020,507	
जोड़े/(घटाए) आय एवं व्यय लेखों से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	99,011,502		24,090,959	
जोड़े : पुराने चैकों की वापसी	427,134		494,305	
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित अनुदान (केन्द्रों में)	1,622,780		3,027,583	
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित अनुदान (मुख्याल में)	2,866,980		614,702	
घटाएं : भारत सरकार को वापिस की गई निधि	64,671,000		—	
घटाएं : प्रक्रिया शुल्क राशि से अर्जित ब्याज	4,198,293		3,941,785	
घटाएं : आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउचर की लागत राशि से अर्जित ब्याज	17,113,860	944,686,852	24,564,661	926,741,609
ख. प्रक्रिया शुल्क हेतु	149,784,338		145,842,553	
जोड़े : प्रक्रिया शुल्क राशि से प्राप्त ब्याज	4,198,293	153,982,631	3,941,785	149,784,338
ग. आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउचर की लागत	130,359,626		105,721,934	
जोड़े : आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउचर की लागत राशि से अर्जित ब्याज	17,113,860		24,564,661	
जोड़े : पिछले साल क पुराने चैकों की वापसी	—		—	
जोड़े/(घटाए) : आय एवं व्यय लेख से	24,147,572		73,031	
अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष		171,621,058		130,359,626
वर्ष के अंत में शेष		1,270,290,541		1,206,885,573

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015



हस्ता./—
प्रबंध निदेशक



हस्ता./—
अपर प्रबंध निदेशक



हस्ता./—
संयुक्त निदेशक

अनुसूची 2- आरक्षित तथा अधिशेष :	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. आरक्षित पूंजी : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ी गई घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	.			
2. पूर्णमूल्यांकन आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ी गई घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	.			
3. विशेष आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ी गई घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	.			
4. सामान्य आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ी गई घटाएं : वर्ष के दौरान कटौती	.			
योग		.		.

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./-
प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

गुड़गांव

तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

31 मार्च, 2015 को

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 3 - अभिविहित/संचयी निधि	निधि-वार व्यौरा			राष्ट्रीय केसर मिशन	एमबीएम योजना	एमओएफपीआई योजना	योग	
	एनएचएम योजना	उत्तरी पूर्वी राज्य (सिक्किम सहित)	बागवानी मिशन जम्मू, कश्मीर, हि. प्र. एवं उत्तराखंड				वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	2,955,947			1,461,219	522,933		4,940,099	149,934,841
ख. निधियों में वृद्धि								
1. अनुदान/चंदे	26,303,000				5,000,000	204,808,394	236,111,394	361,942,613
- टीएसजी घटक हेतु								
2. निधियों से आय (बचत खाते पर ब्याज)	172,302	0	723,579	421,659	90,279	673,792	2,081,611	7,100,087
3. संगठनों से वापिस प्राप्त अव्ययित अनुदान								
योग (क + ख)	29,431,249		723,579	1,882,878	5,613,212	205,482,186	243,133,104	518,977,541
ग. निधियों के उद्देश्य के निमित्त उपयोग/व्यय								
1. पूंजीगत व्यय :								
- अचल परिसंपत्तियां								
- परियोजना के लिए दिया गया अनुदान						202,243,000	202,243,000	415,827,660
योग						202,243,000	202,243,000	415,827,660
2. राजस्व व्यय :								
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि								
- बैंक शुल्क	3,270				112	73	3,455	525
- अन्य प्रशासनिक खर्च - टीएसजी	24,972,965			768,548	3,468,857	2,565,394	31,775,764	23,107,966
- एमएफपीआई/एचएमएनईएच को वापिसी			723,579	650,000		673,719	2,047,298	75,101,292
योग	24,976,235		723,579	1,418,548	3,468,969	3,239,186	33,826,517	98,209,783
कुल योग	24,976,235		723,579	1,418,548	3,468,969	205,482,186	236,069,517	514,037,443
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख-ग)	4,455,014			464,330	2,144,243		7,063,587	4,940,099

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015

प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
अपर प्रबंध निदेशक

हस्ता./-
संयुक्त निदेशक


(राशि रुपयों में)


अनुसूची 4 – प्रतिभूत ऋण तथा उधारियां:	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	—	—
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	—	—
3. वित्तीय संस्थाएं	—	—
क. सावधि ऋण	—	—
ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय	—	—
4. बैंक :	—	—
क. सावधि ऋण	—	—
— प्रोदभूत ब्याज तथा देय	—	—
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	—	—
— प्रोदभूत ब्याज तथा देय	—	—
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया	—	—
6. डिबेंचर तथा बांडस	—	—
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
योग		


(राशि रुपयों में)

अनुसूची 5 – अप्रतिभूत ऋण तथा उधारियां :	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	—	—
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	—	—
3. वित्तीय संस्थाएं	—	—
क. सावधि ऋण	—	—
ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय	—	—
4. बैंक :	—	—
क. सावधि ऋण	—	—
— प्रोदभूत ब्याज तथा देय	—	—
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	—	—
— प्रोदभूत ब्याज तथा देय	—	—
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया	—	—
6. डिबेंचर तथा बांडस	—	—
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	—	—
योग		—
टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि		

स्थान : गुडगांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./—
प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
संयुक्त निदेशक


(राशि रुपयों में)


अनुसूची 6 – आस्थगित क्रेडिट देयताएं	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. पूंजीगत उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियां के रहन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां		—		—
ख. अन्य		—		—
योग				
टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि				

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 7 – वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान देयताएं				
1. स्वीकृतियां				—
2. विविध लेनदार :				
क. सामान हेतु	—			
ख. अन्य			—	
3. अग्रिम प्राप्ति	—			
4. निम्न पर प्रोदभूत ब्याज किंतु देय नहीं	—			
क. प्रतिभूत ऋण/उधारियां			—	
ख. अप्रतिभूत ऋण/उधारियां			—	
5. सांविधिक देयताएं :				
क. अतिदेय			—	
ख. अन्य			—	
6. अन्य वर्तमान देयताएं		1,335,058		2,102,439
योग (क)		1,335,058		2,102,439
ख. प्रावधान				
1. कराधान हेतु		—		—
2. उपदान		65,971,747		54,660,306
3. अधिवर्षिता/पेंशन		—		—
4. संचित छुट्टी/नकदीकरण		51,624,423		43,707,263
5. व्यापार वारंटी/दावे		—		—
6. अन्य-संदिग्ध ऋण		247,870,315		249,640,663
योग (ख)		365,466,485		348,008,232
योग (क+ख)		366,801,543		350,110,671

स्थान : गुडगांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./—
प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
संयुक्त निदेशक


(राशि रुपयों में)


अनुसूची 9 – निर्दिष्ट/संचयी निधियों	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियां		—		—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		—		—
3. शेयर		—		—
4. डिबेंचर तथा बंध-पत्र		—		—
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम		—		—
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		—		—
योग		—		—

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 10 – अन्य निवेश	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. सरकारी प्रतिभूतियां		—		—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां		—		—
3. शेयर		—		—
4. डिबेंचर तथा बंध-पत्र		—		—
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम		—		—
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)		—		—
योग		—		—

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./—
प्रबंध निदेशक



हस्ता./—
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
संयुक्त निदेशक


(राशि रुपयों में)


अनुसूची 11 – वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. वर्तमान परिसम्पत्तियां				
1. वस्तु सूचियां :				
क. भंडार एवं कल पुर्ज		343,439		192,287
ख. हस्तगत स्टांप		.		.
ग. व्यापार में स्टॉक		.		.
– तैयार सामान		.		.
– कार्य प्रगति पर		.		.
– कच्चा माल		.		.
2. विविध देनदार :				
क. 6 महीने से अधिक अवधि का बकाया		.		.
ख. अन्य जमा		.		.
3. हस्तगत नगदी शेष (चेक/ड्राफ्ट आदि सहित)		123,046		86,673
4. बैंक शेष				
क. अधिसूचित बैंको के पास :				
– चालू खातों में		.		.
– जमा खातों में	1,000,000,000		945,000,000	
– बचत खातों में (मुख्य कार्यालय)	254,551,697		236,460,068	
– बचत खातों में – अग्रदाय खाता (केन्द्रों)	9,018,835		6,122,091	
– बचत खाते में – सहायिकी खाता (केन्द्रों)	2,415,199		4,760,702	
– बचत खाते में – आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउचर की लागत (केन्द्रों)	2,857,362	1,268,843,094	288,632	1,192,631,493
ख. गैर अधिसूचित बैंकों के पास :				
– चालू खातों में		.		.
– जमा खातों में		.		.
– बचत खातों में		.		.
5. डाक घर बचत खाता		.		.
योग (क)		1,269,309,579		1,192,910,453
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण और अग्रिम				
क. स्टाफ	7,123,209		5,341,688	
ख. अन्य	496,869		.	
ग. निकाय के समान क्रियाकलापों/ उद्देश्यों में रत अन्य निकाय				
घ. बोर्ड की योजनाओं के तहत उधार ऋण				
– अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य	980,000		1,552,000	
– संदिग्ध	217,079,681		217,292,385	
		225,679,759		224,186,073
2. नकद अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशियां				
क. पूंजी खाते में				
ख. पूर्वदत्त व्यय				
ग. जमा	314,391		314,391	
		314,391		314,391
3. अर्जित आय:				
क. निर्दिष्ट/संचयी निधि से निवेश पर				
ख. एसडीआर निवेश पर	30,358,767		29,687,971	
ग. बचत खातों पर				
घ. उधार ऋणों पर				
– अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य	604,050		1,006,864	
– संदिग्ध	30,790,634		32,348,278	
(अप्राप्त बकाया आय सहित)		61,753,451		63,043,113
4. बैंक द्वारा स्रोत पर कर कटौती और चुकता आयकर (विरोधाधीन)		65,853,861		58,553,407
योग (ख)		353,601,462		346,096,984
योग (क+ख)		1,622,911,041		1,539,007,437

स्थान : गुडगांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./-
प्रबंध निदेशक

48


हस्ता./-
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
संयुक्त निदेशक

आय तथा व्यय लेखा के अंश दर्शाती अनुसूचियां

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए


(राशि रुपयों में)


अनुसूची 12- बिक्री/सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. बिक्री से आय :				
क. तैयार माल की बिक्री	—		—	
ख. कच्चे माल की बिक्री	—		—	
ग. स्क्रेप की बिक्री	—		—	
2. सेवाओं से आय :				
क. प्रक्रिया शुल्क	—		—	
ख. आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउचर की लागत	38,970,687		14,885,599	
घटाएं : डीईओ की सेवाओं को लेने पर व्यय	5609778			
घटाएं : रा.बा.बो. प्रकाशन के मुद्रण हेतु व्यय	353084			
घटाएं : कोल्ड स्टोरेज की छानबीन हेतु व्यय	879514			
घटाएं : संविदागत डीईओ -एमआईएस हेतु व्यय	3516539			
घटाएं : एएमसी वेबसाइट	234500			
घटाएं : विशेषज्ञों के यात्राभत्ता व्यय व परामर्शी शुल्क	229700			
कुल व्यय	14,823,115		14,812,568	
ग. व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं	—		—	
घ. एजेंसी कमीशन तथा ब्रोकरेज	—		—	
ङ अनुसूचण सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	—		—	
च. अन्य	—		—	
		24,147,572		73,031
योग		24,147,572		73,031


(राशि रुपयों में)

अनुसूची 13- अनुदान/सहायिकी (प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान तथा सहायिकी)	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार				
योजनागत व्यय				
एनएचबी बजट से	2,064,400,000		2,027,694,000	
एनएचएम बजट से			678,000,000	
गैर योजनागत व्यय	—		—	
		2,064,400,000		2,705,694,000
2. राज्य सरकार (सरकारें)		—		—
3. सरकारी एजेंसियां		—		—
4. संस्थान/कल्याणकारी निकाय		—		—
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन		—		—
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)		—		—
योग		2,064,400,000		2,705,694,000

स्थान : गुडगांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक


हस्ता. /—
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता. /—
संयुक्त निदेशक


(राशि रुपयों में)


अनुसूची 14- शुल्क/अभिदान	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. प्रवेश शुल्क		—		—
2. वार्षिक शुल्क/अभिदान		—		—
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क		—		—
4. परामर्श शुल्क		—		—
5. अन्य		—		—
योग		—		—
टिप्पणी : प्रत्येक मद से संबंधित लेखाकरण नीतियों को दर्शाया जाएं				


(राशि रुपयों में)

अनुसूची 15 — निवेशों से आय (निधियों में अंतरित अभिचिन्हित/संचयी निधियों से निवेश पर आय)	अभिचिन्हित निधि से निवेश		निवेश-अन्य	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर			—	
ख. अन्य बंध-पत्रों/डिबेंचरों से			—	
ग. अन्य (बैंको में सावधिक जमा)			—	—
2. लाभांश				
क. शेयरों से			—	
ख. म्यूचुअल फंड प्रतिभूतियों पर			—	
3. किराया	—	—	—	—
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	—	—	—	—
योग	—	—	—	—
अभिचिन्हित/संचयी निधियों में अंतरित				

स्थान : गुडगांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./—
प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
संयुक्त निदेशक


(राशि रुपयों में)


अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. प्रकाशनों से आय		34,975		73,725
2. रॉयल्टी से आय		—		—
3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		—		—
योग		34,975		73,725


(राशि रुपयों में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. मियादी जमा पर :				
क. अनुसूचित बैंकों से	92,359,525		87,644,714	
ख. गैर अनुसूचित बैंकों से	—		—	
ग. संस्थानों से	—		—	
घ. अन्य	—		—	
		92,359,525		87,644,714
2. बचत खातों पर :				
क. अनुसूचित बैंकों से	16,495,045		17,448,719	
ख. गैर अनुसूचित बैंकों से	—		—	
ग. डाक घर बचत खातों से	—		—	
घ. अन्य – केन्द्रों पर	—		—	
		16,495,045		17,448,719
3. ऋणों पर :				
क. कर्मचारियों/स्टाफ से	86,629		165,299	
ख. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से वसूली योग्य सेवा शुल्क				
ग. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से प्राप्त किया गया सेवा शुल्क		86,629		165,299
		—		—
4. ऋणी तथा अन्य प्राप्ति योग्य पर ब्याज				
योग		108,941,199		105,258,732
टिप्पणी : स्रोत पर काटे गये कर को शामिल किया जाए				

स्थान : गुडगांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./—
प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
संयुक्त निदेशक


(राशि रुपये में)


अनुसूची 18 – अन्य आय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ :				
क. स्वयं की परिसंपत्तियां	—			
ख. अनुदानों से अभिग्रहित, अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	—			
2. प्राप्त किराया		168,180		168,180
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क		—		—
4. विविध आय		383,588		106,154
5. प्राप्त हुए सेवा प्रभार – बाजार		293,119		1,082,236
योग		844,887		1,356,570


(राशि रुपये में)

अनुसूची 19 – तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोतरी/(कमी) तथा कार्य प्रगति पर	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
1. अंतिम स्टॉक				
क. तैयार माल				
ख. कार्य प्रगति पर				
2. घटाएं : प्रारम्भिक स्टॉक				
क. तैयार माल				
ख. कार्य प्रगति पर				
शुद्ध वृद्धि/(कमी) (1-2)		—		—

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./—
प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
संयुक्त निदेशक


(राशि रुपयों में)


अनुसूची 20 — स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वेतन एवं भत्ते	41,976,685	42,702,445
ख. अन्य भत्ते तथा बोनस	6,975,759	6,933,513
ग. भविष्य निधि में अंशदान	10,151,399	9,848,183
घ. अन्य निधि में अंशदान (विनिर्दिष्ट करें)	—	—
ङ. स्टॉफ कल्याण पर व्यय	550,919	426,329
च. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय तथा सेवांत लाभ		
— वर्ष के दौरान भुगतान	2,415,268	5,836,952
— वर्ष के लिए प्रावधान	19,228,601	6,377,278
योग	81,298,631	72,124,700


(राशि रुपयों में)

अनुसूची 21 — अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. क्रय	—	—
ख. प्रक्रिया प्रभार	—	—
ग. गाड़ी भाड़ा तथा वाहन अंतर्गामी	—	—
घ. विद्युत तथा ऊर्जा	2,021,785	1,782,765
ङ. जनरेटर चालन तथा रखरखाव	792,900	914,028
च. बीमा	19,808	17,048
छ. मरम्मत एवं अनुरक्षण	6,244,180	469,014
ज. सुरक्षा प्रभार तथा गृह व्यवस्था पर व्यय	3,531,231	3,110,175
झ. वाहन चालन तथा अनुरक्षण	282,891	345,915
ञ. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	945,899	918,425
ट. मुद्रण तथा स्टेशनरी	670,731	1,457,413
ठ. यात्रा तथा वाहन व्यय	5,130,944	5,128,320
ड. समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएं	65,197	52,859
ढ. कार्यालय व्यय	658,815	284,106
ण. बैठक/सत्कार संबंधी व्यय	169,352	233,936
त. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक/शुल्क	493,370	602,078
थ. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	1,293,911	668,999
द. विज्ञापन और प्रचार	610,929	672,768
ध. फोटोकापी प्रभार	568,846	586,373
योग	23,500,789	17,244,222

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./—
प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
संयुक्त निदेशक

(राशि रुपयों में)

अनुसूची 22 – अनुदानों, सहायिकी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान				
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सहायिकी (उत्तरपूर्वी राज्यों के अलावा हेतु)				
1) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)				
– एनएचबी बजट से	792,226,928		992,886,433	
– एनएचएम बजट से			257,341,530	
– उदार ऋण योजना के तहत कानूनी मामलों हेतु विविध व्यय	715,250		3,787,448	
2) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी				
– एनएचबी बजट से	969,189,000		838,925,600	
– एनएचएम बजट से			420,652,280	
3) बागवानी हेतु प्रौद्योगिकी विकास/संवर्धन				
– एनएचबी बजट से	68,530,498		52,342,582	
– एनएचएम बजट से			6,190	
4) बागवानी फसलों हेतु बाजार सूचना सेवा	75,929,237		72,569,091	
5) बागवानी संवर्धन सेवाएं	2,173,604		9,590,606	
व्यय (उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम सहित हेतु)				
1) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	2,952,709		4,874,100	
2) बागवानी हेतु प्रौद्योगिकी विकास/संवर्धन	3,811,409		7,363,018	
3) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	53,500,118	1,969,028,753	52,612,882	2,712,951,760
ग. अन्य योजना संबंधी व्यय				
1) एकमुश्त निपटान योजना के तहत सेवा प्रभागों को छोड़ दिया गया				837,365
योग		1,969,028,753		2,713,789,125


टिप्पणी : निकायों के नाम, उनके क्रियाकलापों तथा अनुदान/सहायिकी राशि को प्रकट किया जाए।


राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र संगठन इस प्रकार से हैं :-
जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, संगठनों/प्रोमोटरों, जैसे उत्पादकों का एसोसिएशन, व्यक्तिगत, कृषक उत्पादकों/उपभोक्ताओं का समूह, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), साझेदारी/स्वामित्व फर्म, स्वतः सहायता समूहों (एसएचजीओ), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), कम्पनियां, निगमों, सहकारिताओं, सहकारिता विपणन फ़ैडरेशन, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगमों/कमेटियां, एग्रो-इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशनों, एसएयू(ओ) और अन्य संबंधित आर एंड डी संगठनों रा.बा.बो. की सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
प्रत्येक गतिविधि में वितरित की गई सहायिकी को उपरोक्त अनुसूची सं0 22 में दर्शाया गया है। लाभार्थी-वार विवरण अलग पुस्तिका में उपलब्ध है। रा.बा.बो. की योजनाओं के अतिरिक्त, रा.बा.बो. एनएचएम, एनबीएम, एमओएफपीआई योजनाओं और केसर मिशन के विशेष घटकों को भी क्रियान्वित करता है।


(राशि रुपयों में)

अनुसूची 23 – ब्याज	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
क. स्थायी ऋणों पर		—		—
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभागों सहित)		76,017		20,942
ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		—		—
योग		76,017		20,942

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./—
प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./—
संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाटी

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा घोषित नहीं किया जाए, ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा लेखांकन की प्रोदभवन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है ।

2. वस्तु सूचियों का मूल्यांकन

भंडार, कलपुर्जों (मशीनरी कलपुर्जों सहित) तथा स्टेशनरी वस्तुओं को लागत पर मूल्यांकित किया गया है ।

3. निवेश

लागू नहीं ।

4. उत्पाद शुल्क

लागू नहीं ।

5. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को लेखें में ऐतिहासिक लागत घटा मूल्यह्रास पर दर्शाया जाता है ।

6. मूल्यह्रास

(क) मूल्यह्रास को आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार कम मूल्य लिखे जाने की पद्धति पर मुहैया करवाया गया है ।

(ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यह्रास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मुहैया करवाया गया है ।

7. विविध व्यय

शून्य ।

8. बिक्री हेतु लेखांकन

शून्य ।

9. सरकारी अनुदान/सहायिकी

भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग से प्राप्त सहायता-अनुदान को प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है । विभिन्न योजनाओं, एनएचबी योजनाओं को छोड़कर, के अंतर्गत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान को निर्दिष्ट निधियों में दर्ज किया जाता है ।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन

विदेशी मुद्रा लेन-देन को, तत्संबंधी लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किए गए हैं ।

11. पट्टा

वर्ष के दौरान कोई भी परिसंपत्तियां पट्टा किराया आधार पर प्राप्त नहीं की गई हैं ।

12. सेवानिवृत्ति हितलाभ

12.1 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर देय उपदान संबंधी प्रावधान का प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया गया है ।

12.2 कर्मचारियों को संचयित छुट्टी के नकदीकरण लाभ संबंधी प्रावधान को प्रोदभूत किया गया है तथा उसे यह मानकर परिकल्पित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी इस लाभ को प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

13. राजस्व मान्यता


(क) एफडीआर पर ब्याज, ऋणों तथा अग्रिमों पर सेवा प्रभार जैसी आय को प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया गया है ।


(ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त शेषों को जब और जैसे प्राप्त होने पर लेखांकित किया गया है ।


(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता/सहायिकी के लिए जारी राशि को जारी किए जाने के वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान पिछले वर्षों की वापस की गई अप्रयुक्त धनराशि को समग्र/पूँजी निधि में दर्ज किया गया है ।

14. माह मार्च, 2015 के लिए वेतन एवं भत्तों के प्रावधान को लेखों में नहीं किया है, क्योंकि यह अगले वर्ष में देय हैं ।

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./-
प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखें पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 निकाय के प्रति दावों जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) ।

1.2 निम्न के मामले में –

- निकाय की ओर से/द्वारा दी गई बैंक गारंटियां – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) ।
- निकाय की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख-पत्र – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) ।
- बैंकों के साथ छूट दिए गए बिल – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) ।

1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांगें:

- बिक्री कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) ।
- नगर निगम कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) ।

1.4 आदेशों के गैर-निष्पादन के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, परंतु जिनका निकाय द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) ।

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। (अग्रिम का निवल) – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) ।

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र तथा मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भविष्य की बाध्यताएं – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य) ।

4. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन के मतानुसार व्यापार के सामान्य रूप में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋणों तथा अग्रिमों का वसूली मूल्य, तुलन-पत्र में दर्शाई गई समग्र राशि के समतुल्य है ।

5. कराधान

निर्धारण वर्ष 2008–09 तक के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) को केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) (iv) के अंतर्गत अधिसूचित किया है। निर्धारण वर्ष 2009–10 से 2010–11 तक के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी) (iv) के अंतर्गत छूट अवधि को बढ़ाने के लिए आयकर प्राधिकारियों के पास आवेदन दायर किया गया, परन्तु मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। बोर्ड ने मुख्य आयकर आयुक्त के आदेशों के विरुद्ध पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में एक रिट याचिका दायर की है । मामले में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय प्रतिक्षित है ।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने दिनांक 16.04.2010 को निर्धारण वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23सी) (iv) के अंतर्गत छूट प्रदान करने के लिए सीसीआईटी, पंचकूला, हरियाणा को आवेदन किया गया था। सीसीआईटी ने आदेश दिनांक 26-04-2011 के तहत राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उपरोक्त आवेदन को अस्वीकार कर दिया था। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने सीसीआईटी द्वारा जारी किए गए उपर्युक्त आदेश दिनांक 26-04-2011 के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में रिट याचिका दायर की है। माननीय न्यायालय ने सीसीआईटी को निर्देश दिया है कि इस संबंध में प्रस्तुत किए गए प्रलेखों के मद्दनेजर प्रार्थी के आवेदन पर पुनर्निर्णय करें। इस मामले में सीसीआईटी से अभी तक कोई भी निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।

रा.बा.बो. ने दिनांक 31-03-2014 को सीसीआईटी, पंचकूला, हरियाणा के पास भी अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) (iv) के अंतर्गत रा.बा.बो. को छूट प्रदान करने के लिए निर्धारण वर्ष 2014-15 और उससे आगे के लिए आवेदन दायर किया था, परन्तु इसे मुख्य आयकर आयुक्त (सीसीआईटी) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने सीसीआईटी द्वारा जारी किए गए आदेश के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में रिट याचिका दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय से मामले में निर्णय की प्रतीक्षा है।

बोर्ड, आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत आयकर प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत भी है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 (निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर-धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर रु0 98,96,505/- का कर लगाया गया। रा.बा.बो. ने इसे प्रतिवाद के तहत जमा किया था। रा.बा.बो. ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), नई दिल्ली ने रा.बा.बो. के पक्ष में अपील पर निर्णय लिया है। रा.बा.बो. ने कर राशि को वापिस करने के लिए आयकर प्राधिकारियों से अनुरोध किया है लेकिन यह अभी तक वापिस नहीं की गई है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 (निर्धारण वर्ष 2010-11 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर-धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर रु0 1,52,04,930/- का कर लगाया गया। रा.बा.बो. ने इसे प्रतिवाद के तहत जमा किया था। रा.बा.बो. ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), नई दिल्ली ने रा.बा.बो. के पक्ष में अपील पर निर्णय लिया है। रा.बा.बो. ने कर राशि को वापिस करने के लिए आयकर प्राधिकारियों से अनुरोध किया है लेकिन यह अभी तक वापिस नहीं की गई है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 (निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर-धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर रु0 76,99,700/- का कर लगाया गया। वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान रा.बा.बो. की सावधि जमा पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुडगांव द्वारा टीडीएस राशि रु0 80,72,944/- को पहले ही काट लिया गया है। रा.बा.बो. ने आयकर प्राधिकारियों से टीडीएस राशि को वापिस करने का अनुरोध किया है। रा.बा.बो. ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ एक अपील भी दायर की है। इस मामले में आईटीएटी, नई दिल्ली से निर्णय की प्रतीक्षा है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 (निर्धारण वर्ष 2012-13 से संबद्ध) की निर्धारण गतिविधियों के दौरान आवेदन सह ब्राउचर शुल्क से अर्जित प्राप्तियों को गैर-धर्मार्थ गतिविधि के रूप में माना गया और रा.बा.बो द्वारा प्राप्त की गई आवेदन सह ब्राउचर शुल्क पर रु0 21,81,917/- का कर लगाया गया। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान रा.बा.बो. की सावधि जमा पर इंडियन ओवरसीज बैंक, राबाबो शाखा, गुडगांव द्वारा टीडीएस राशि रु0 80,44,928/- को पहले ही काट लिया गया है। रा.बा.बो. ने आयकर प्राधिकारियों से टीडीएस राशि को वापिस करने का अनुरोध किया है। रा.बा.बो. ने निर्धारण अधिकारी के आदेश के खिलाफ एक अपील भी दायर की है। इस मामले में आयकर आयुक्त (अपील) फरीदाबाद से निर्णय की प्रतीक्षा है।

6. विदेशी मुद्रा लेन-देन

6.1 सीआईएफ के आधार पर परिकल्पित आयातों का मूल्य

— तैयार माल की खरीद	शून्य
— कच्चा माल तथा घटक (अंतरण अधीन सहित)	शून्य

– पूंजीगत वस्तुएं	शून्य
– भंडार, कलपुर्जे तथा उपभोज्य	शून्य

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

क. यात्रा व्यय रु0 31881/–

ख. वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषित धनराशि तथा ब्याज का भुगतान

ग. प्रौद्योगिकी जागरूकता हेतु मशीनरी की खरीद संबंधी भुगतान शून्य

घ. अन्य व्यय:

– बिक्री पर कमीशन	शून्य
– विधिक तथा व्यावसायिक व्यय	शून्य
– विविध व्यय	शून्य

एनएचएम के टीएसजी घटक के अंतर्गत सदस्यता शुल्क रु0 7,38,546/–

6.3 आय

एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य शून्य


6.4 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक


– लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में	शून्य
– जेब खर्ची व्यय	शून्य
– कराधान मामले	शून्य
– अन्य	शून्य


- प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम बाउचर की लागत के कारण संचयी निधि और प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम बाउचर की लागत से सृजित स्थाई परिसंपत्तियों पर खर्च किए गए व्यय को बोर्ड के वार्षिक लेखों में अलग से दर्शाया गया है।
 - सिविल मुकदमा दाखिल किए जाने के वर्ष से दाखिल उदार ऋण मामले में सेवा प्रभार का प्रावधान नहीं किया जाता है। तथापि, मुकदमा किए गए उन मामलों के संबंध में वसूली की सीमा तक सेवा प्रभार लगाया गया है जिसमें संबंधित अवधि के दौरान राशि वसूल की गई है।
 - उन उदार ऋण मामलों की वसूली के समायोजन संबंधी, रा.बा.बो. की पद्धति के अनुसार, जिनमें वसूली की एकमुश्त राशि जो मूलधन राशि और देय सेवा प्रभारों से कम है, रा.बा.बो. वसूली की राशि को पहले सेवा प्रभारों में और बाकी की राशि को मूलधन राशि में समायोजित करता है।
- (क) वर्ष के दौरान, मै0 गार्डन पिक प्रा0 लि0 के सॉफ्ट लोन केश में रु0 17,70,348/– की राशि प्राप्त हुई जिसमें से रु0 5,13,841/– की राशि को सेवा प्रभारों में जो सिविल मुकदमा दायर करने की तिथि तक दिया गया था और बाकी की राशि रु0 12,56,507/– को मूलधन राशि में समायोजित किया गया है। रा.बा.बो. में यह उपरोक्त उल्लिखित पद्धति के अनुसार अस्थाई रूप से किया गया है जो कि बाद में, यदि अपेक्षित हुआ, रा.बा.बो. की लेखा बहियों की प्रविष्टियों के परिशोधन के अधीन होगा।
- लाभार्थियों द्वारा देयों के विलंब से किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में लेखों में दंडात्मक ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। इसे प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।

11. उदार ऋणों की वसूली के लिए बोर्ड ने चूककर्ता ऋणियों के खिलाफ सिविल मुकदमें दायर किए हैं। 31.03.2015 तक संदिग्ध ऋणों के लिए 24,78,70,315/- रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
12. सिविल मुकदमा दाखिल किए गए मामलों में न्यायालय शुल्क, यदि कोई हो, को व्यय लेखा से भुगतान आधार पर घटाया गया है।
13. पिछले वर्ष के लिए तदनुरूपी आंकड़ों को, जहां आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
14. आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया गया है।
15. 31 मार्च, 2015 तक के तुलन-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ संलग्न 1 से 25 तक अनुसूचियां, इसका एक एकीकृत भाग है।

स्थान : गुड़गांव
दिनांक: 29.06.2015


हस्ता./-
प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
अपर प्रबंध निदेशक


हस्ता./-
संयुक्त निदेशक

CONTENTS

1. Introduction
2. Vision
3. Mission
4. Objectives
5. Set Up
 - Board of Directors
 - Managing Committee of NHB
6. Resource
 - People
 - Network
 - Infrastructure
 - Funding
7. Schemes/Programmes
8. Highlights - Year 2014-15

ANNEXURES

- I. Objectives of the National Horticulture Board
- II. List of Board of Directors of the National Horticulture Board
as on 31.03.2015
- III. Staff Position as on 31.03.2015
- IV. List of Unit/Branch Offices of the National Horticulture Board
along with their complete addresses
- V. List of NHB Publications
- VI. Annual Accounts of the Board for the year 2014-2015

NHB DURING THE YEAR 2014-15



India's horticulture production currently nearing 280 million tons a year has not only brought prosperity to small and marginal farmers but also provided food and nutritional security to the Nation. Ranked as the second largest producer of Fruits & Vegetables in the world, horticulture in India has today emerged as one of the most important sectors for diversification in agriculture. NHB's contribution in this direction has been multidimensional: supporting the farmers and the entrepreneur to face challenges of globalised markets with improved production, post harvest management and value addition through its broad based entrepreneur driven innovative schemes since the year 1999-2000.

After the launch of Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) since April 2014, it become imperative for NHB to re-position itself and assume a new role to accelerate planned development of Commercial Horticulture Sector. To achieve this, schemes of NHB have been modified to generate synergy with other sub-schemes of MIDH and fulfill the aim of development of horticulture sector by removal of overlap. It may be noticed that while a number of existing scheme components continued to be operational with necessary modifications, the Government has approved higher level of subsidy of 40 % for open field cultivation and 50% for protected cultivation to maintain parity with the schemes of NHM under MIDH.

The present compendium of NHB Schemes with revised and simplified procedures with regard to Letter of Intent (LOI) and Release of Subsidy (Advance / final) have been designed to serve the entrepreneur more effectively. Several attractive interventions such as Simplified application form with minimal documents, voluntary LOI system, relaxation from mandatory credit-linkage in certain cases, release of 100% estimated subsidy in advance, attractive Cost Norms and Pattern of Assistance, reduced area restriction for open field cultivation etc are some of the salient features of the new schemes. The ongoing schemes of Development and Transfer of Technology, Horticulture promotion and Market Information System have been made more focused.

The new operational guidelines of NHB are effective from 1st April 2014. It is expected that the these schemes will lead to increased productivity and improved post-harvest management and marketing with emphasis on quality which in turn will encourage entrepreneurship in every aspect of horticulture including exports.

During the period, the Board has promoted setting up of 69 cold storages with modern technology which in turn will pave the way for growth of energy-efficient cold chain infrastructure providing prescribed storage conditions with due concern for safety of men and material and environmental issues.

During the year the Board has continued with its series of Horticulture Fairs named as "Horti-Sangam" which was introduced during the 11th Plan Period with multiple objectives of capacity building among producer farmers to have enhanced productivity with higher


percentage of quality fruits, adopt protocols for post harvest management of fresh horticulture produce, its packaging and transport and direct market access in nontraditional consumption centers for the purpose of product promotion and market development. Accordingly, Inter-State Horti Sangam was held during 3rd to 5th June 2014 at Horti-Sangam 2014 at CCOI, Rafi Marg, New Delhi and also held from 9th to 11th January 2015 at Lal Bagh, Bangalore (Karnataka).

Though, after restructuring of its schemes, the Board has not been able to take up projects of area development in horticulture sector which are promoted by small and marginal farmers, it has continued to serve them when they come as joint promoters of projects and also by benefiting them through its scheme of Technology Development & Transfer and Common Facility Centre.

The schemes of the Board have helped in creating success stories in commercial horticulture and setting up of horticulture production hubs. It has attracted private- investment and primary sector lending in respect of production and post harvest management of fruits & vegetables and hi-tech Floriculture having export potential and good demand in domestic market too.

It is noteworthy that the Board has assisted projects of commercial horticulture over about 61404 hectares since inception of this scheme in the year 1999-2000. During the year 2014-15, it has assisted 1053 projects of commercial horticulture and released subsidy to the tune of Rs. 7958.95 lakh. In addition, the Board has released financial assistance of Rs. 10226.89 lakh for projects relating to Cold storages and Specialized Storages, Rs. 723.41 lakh for Technology Development & Transfer, Rs. 766.40 lakh for Market Information Schemes and Rs. 926.32 lakh for strengthening/capabilities of NHB.

The stated achievements of the Board in the field of Horticulture Development would not have been possible without the able guidance of the Board of Directors of NHB and the Managing Committee, for which I am grateful to Shri Radha Mohan Singh, Hon'ble Union Minister for Agriculture & President of the Board, Shri Sanjeev Balyan, Hon'ble Minister of State for Agriculture and Vice President of the Board and all the Members of Board of Directors of NHB. I am especially thankful to Shri Ashish Bahuguna, Secretary (A&C) & Chairman of MC & all the Members of the MC for their regular guidance and support. I also place on record the excellent support rendered by the team of officers and staff of NHB in achieving the goals.



(A. K. Singh)
Managing Director

Introduction

National Horticulture Board (NHB) was set up by Government of India in April 1984 on the basis of recommendations of the "Group on Perishable Agricultural Commodities", headed by Dr M. S. Swaminathan, the then Member (Agriculture), Planning Commission, Government of India. The NHB is registered as a Society under the Societies Registration Act 1860, with its headquarters at Gurgaon.

Vision

Recognizing the fact that the Commercial Horticulture provides not only food and nutritional security but also paves the way for crop diversification for better economic gain and risk mitigation for the farmers: the need for promoting this sector by concerted efforts for private investment through commercial horticulture projects, has been visualized. This sector includes area expansion under commercial horticulture projects in clusters; post harvest management related infrastructure combined with public and private sector initiatives of technology development and transfer, product promotion, marketing & export. With this vision, National Horticulture Board is striving to accelerate the process of the development of commercial horticulture in potential clusters by organizing the producer farmers for better utilization of resources, transfer of technology and gaining benefit of scaling up.

Mission

- ❖ To promote commercial horticulture through development of production hubs and ensuring availability of quality planting material.
- ❖ To promote investment in Post-Harvest Management and Green Cold Chain infrastructure
- ❖ To promote development and transfer of technology for quality production

- ❖ Product promotion, market development and export promotion through synergy amongst producers, farmers, extension workers, research organizations, private stake holders and credit institutions

OBJECTIVES

The main objectives of the NHB are to improve integrated development of Horticulture industry and to help in coordinating, sustaining the production and processing of fruits and vegetables. Detailed objectives of the Board are given at **Annexure-I**.

SET UP

A. Board of Directors

- ❖ The management of all the activities of NHB is undertaken by a paramount body, "Board of Directors", which is headed by the Hon'ble Union Agriculture Minister as its President and Hon'ble Union Minister of State for Agriculture as its Vice-President. Other Members of the Board are:
 - Secretary, DAC, Government of India (Ex-Officio);
 - Director General, ICAR (Ex-Officio);
 - Addl. Secretary (Hort.), DAC (Ex-officio)
 - Financial Adviser, DAC (Ex-Officio);
 - Mission Director, NHM, DAC (Ex-officio)
 - Horticulture Commissioner, DAC (Ex-Officio);
 - Advisor (Agriculture), Planning Commission (Ex-Officio);
 - Chairman, APEDA (Ex-Officio);
 - Eleven Representatives of Horticulture industry representing the interests of Co-operative Societies, leading horticulturists and leading exporters of horticulture

produce. (To be nominated by the Central Govt.)

- A representative of Ministry of Food Processing Industry, or any other Ministry who may be invited especially with the consent of the President. (Ex-Officio);
- Managing Director, NHB - Member Secretary

A list of Members of the Board of Directors (as on 31.3.2015) is given in **Annexure-II**.

B. Managing Committee of NHB

The Union Secretary (Agriculture & Cooperation) heads the Managing Committee of the NHB as its Chairman. It has been assigned the role of General Superintendent, Direction and control of the affairs and functions of the Board. The composition of the Managing Committee is as under:

- | | |
|---|----------|
| i) Secretary
(Agriculture & Cooperation)
(Ex-Officio) | Chairman |
| ii) Addl. Secretary/Special Secretary
(In charge, Horticulture)
(Ex-officio)
Deptt. of Agriculture & Cooperation | Member |
| iii) Financial Advisor,
Deptt. of Agril. & Coopn.
(Ex-Officio) | Member |
| iv) Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), (Ex-Officio) | Member |
| v) Horticulture Commissioner,
Deptt. of Agril. & Coopn.
(Ex-Officio) | Member |
| vi) Mission Director
National Horticulture Mission
Deptt. of Agril. & Coopn.
(Ex-Officio) | Member |

- | | |
|---|-----------|
| vii) General Manager, NABARD
(Ex-Officio) | Member |
| viii) One farmers representative | Member |
| ix) Managing Director,
National Horticulture Board
(Ex-Officio) | Secretary |

RESOURCES

People

The Principal Executive of the Board is Managing Director who is assisted by technical and administrative divisions. The details of sanctioned and filled posts are given at **Annexure-III**.

Network

The Head Office of the Board is situated at Gurgaon (Haryana). Besides, there are 36 field offices located in different parts of the country. List of our field offices are given at **Annexure-IV**.

Our Infrastructure

- ❖ A sprawling well maintained green Campus of 5.4 acres
- ❖ Fully computerized work environment at Head Office and also in Field offices.
- ❖ Well equipped Library having wide range of horticultural publications.
- ❖ Committee Halls, Guest House and Canteen Facilities at Head Office.
- ❖ Demonstration units for Poly House and Net House.

Funding

- ❖ The activities of the Board are funded by the Government of India by way of grants-in-aid. The details of the funds received and expenditure incurred under various Schemes during the year 2014-15 are given hereunder:-

(Amount in Rs. Lakh)

Name of Scheme	Grant Received	Unspent Balance as on 01.04.2014	Total fund available	Expenditure incurred
NHB	20644.00	984.75	21628.75	20601.97
NHM	263.03	29.56	292.59	249.76
NBM	50.00	5.23	55.23	34.69
HMNEH	--	--	--	--
MoFPI*	2048.08	--	2048.08	2048.08

*Unspent balance refunded back to Govt. of India.

SCHEMES/PROGRAMMES

Since its inception, NHB has taken up various programmes / schemes. The present compendium of schemes is set of intervention to achieve high quality commercial production, create Post Harvest infrastructure and cold chain facilities, and promote Transfer of Technology for Production and post harvest management. Highlights of the schemes and achievements during the year 2014-15 are given hereunder:-

1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management

Credit linked projects relating to establishment of commercial production units in open field as well as under protected conditions and projects on Post harvest Management and primary processing of products are eligible for assistance under this scheme as per cost norms. However, release of Subsidy need not be credit linked in North Eastern States and for the institutions like Public Sector Units, Panchayats, cooperatives, registered societies/trust and public limited companies provided they can meet remaining share of the project cost out of their own resources. Such projects will have to be appraised by appraising agency approved by NHB.

Description of components and Pattern of Assistance

1.1 Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode

National Horticulture Board will take up integrated commercial horticulture development projects in open field conditions on project mode, including components viz planting material, plantation, irrigation, fertigation, mechanization, precision farming, GAP etc. for projects covering area over 2.00 ha. (5 Acres) Integration of production unit with on farm PHM components and primary processing unit shall also be allowed in project mode. Cost of raising new plantation will vary from crop to crop, which will be taken into consideration while providing assistance to the beneficiary. Integrated production unit on Mushroom and tissue culture shall also be eligible for assistance under this component. The components like farm machinery and PHM infrastructure, irrigation and micro irrigation etc. shall be eligible under the scheme for assistance in existing/new orchards/projects to increase productivity.

Pattern of assistance

Credit linked back-ended subsidy @ 40% of the total project cost limited to Rs 30.00 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 37.50 lakh in NE Region, Hilly and Scheduled areas.

1.2 Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode

The Board will also take up commercial horticulture development projects under protected cover on project mode including components viz. planting material, plantation, irrigation, fertigation, mechanization, etc

for projects having area over 2500 sq meter. Activities like construction of green houses, shade net house, plastic mulching, and plastic tunnel, anti bird /hail nets etc would be promoted. Provision has been made for selecting a variety of construction material for green houses and shade nets houses. Preference will be given to using locally available material to minimize cost of construction of such structures. However, for availing subsidy, all material /technology should conform to prescribed standards.

Pattern of assistance

Credit linked back-ended subsidy @ 50% of the total project cost limited to Rs 56.00 lakh per project as per admissible cost norms for green houses, shade net house, plastic tunnel, anti bird /hail nets & cost of planting material etc.

1.3 Integrated Post Harvest Management projects

The Board will take up Integrated Post Harvest Management projects relating to

Pack House, Ripening Chamber, Refer Van, Retail Outlets, Pre- cooling unit, Primary processing etc. NHB will also take up projects in component mode and for standalone projects of PHM components.

Pattern of assistance

Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the total project cost limited to Rs 50.75 lakh per project in general area and @ 50 % of project cost limited to Rs. 72.50 lakh per project in NE, Hilly and Scheduled areas.

Achievements

Under the scheme, the Board sanctioned 1046 projects during the financial year under report involving subsidy of Rs. 7958.95 lakhs. The projects includes Hi-Tech Horticultural Crops, Tissue Culture Units, Floriculture Units, Mushroom Cultivation, Establishment of Packing House, Ripening Chamber, Refer van, Retail outlets, Pre-cooling units, Primary Processing etc.



Gerbera under poly house



Gerbera under poly house



Plantation of Date Palm in Kutch (Gujarat)



Banana Cultivation in open field in Gujarat State



Pomegranate Cultivation in open field in Gujarat State



A View of Coconut Orchard in Tamil Nadu



Mango Plantation in Tamil Nadu



Cultivation of Lilium in Green House in Chattisgarh State

2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/ Expansion/ Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Products

Components:

Credit linked projects relating to Cold Storages including Controlled Atmosphere (CA) and their modernization are eligible for assistance under this component. Subsidy need not be credit linked for the institutions like Public Sector Units, Panchayats,



NHB assisted CA Storage M/S Suroop Fresh Pvt. Ltd., (MS)



NHB assisted CA Storage in Karnataka

cooperatives, registered societies/trust and public limited companies provided they can meet remaining share of the project cost out of their own resources. Such projects will have to be appraised by appraising agency approved by NHB.

Pattern of Assistance

The assistance will be given as subsidy @ 35% of the capital cost of project in general areas and 50% in case of NE, Hilly & Scheduled Areas for a storage capacity above 5000 MT up to 10000 MT.

Achievements

(Rs. in lakh)

No. of projects	Amount Released
68	10226.89

3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

Objectives:

Projects for popularization of identified new technologies/tools/techniques for commercialization/adoption etc. with following sub-components:

Components & Pattern of Assistance

Components	Pattern of Assistance
Setting up of block/mother plant and root stock nursery (Area above 4 ha)	Project based – 100% and only through Govt. agency/ Public Sector @ Rs.100.00 Lakh /ha for effective nursery area including virus indexing, tissue culture lab etc.
Acquisition of technologies including import of planting material from other countries for evaluation and mass multiplication in order to increase production & productivity of horticulture crops	Rs.50.00 lakh/ project. Project based – 100% and only through Govt. agency/PSUs.
Import/ procurement of machines and Tools for horticulture for demonstration purpose	Rs. 50.00 lakh/ machine. 100% of total cost and only through Govt. agency/Public Sector. Proposals of Growers

Components	Pattern of Assistance
	Associations promoted by NHB and Co-operative Societies and Farmers Producers Organization may also be considered on merit as per direction of Board of Directors
Development & Transfer of Technology	Up to Rs.25.00 lakh/ project as 100% of total cost and only through Govt. agency /PSU
Long Distance Transport Solution	Project based Rs 2000.00 lakh
Product Promotion and Market Development Services- Horti-fairs	Rs. 25.00 lakh 100% of cost by Central Nodal Agency
Exposure visit of farmers (Outside State)	Project based as per actual 100% of the cost
Visit Abroad for Government Officers	Rs. 6.00 lakh per participant 100% of air / rail travel and course fee
Organization/ participation in seminars/ workshops/ exhibitions etc. for development of horticulture	(i) The financial assistance would be limited up to Rs.10.00 lakh for International event(3-5 days), Rs.5.00 Lakh for National event, Rs.3.00 lakh for State Level event and Rs.0.50 lakh for District Level event. (ii) In case of short duration (1-2 days) seminars, financial assistance would be limited to:

Components	Pattern of Assistance
	Rs.1.00 lakh per event for State Level event, Rs. 2.00 lakh for National level event and Rs 3.00 lakh for International event (for organizations/ participation of international event within India).
Accreditation and Rating of Fruit Plant Nurseries	Accreditation system will be based on rating in a scale of single to five stars with appropriate weightage on production system, nursery management practices and quality of planting material produced. Board has also decided to consider Vegetable Nurseries for accreditation and rating which are producing seedlings for commercial production of vegetable crops either in open field or controlled condition like poly/ net house w.e.f. 01.12.2014 Rs 1.00 lakh/nursery by Central Nodal Agency (NHB)

Achievements

Under this scheme, NHB has assisted 334 projects for Introduction of New Technology,

Visit of Progressive Farmers, Horti. Sangam, Organization/Participation in Seminars/Symposia/ Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries, etc. and released financial assistance amounting to Rs. 723.41 lakhs.



Hon'ble Union Agriculture Minister Sh. Radha Mohan Singh visiting stall during Inter State Horti. Sangam at Bengaluru, Karnataka (9th to 11th January 2015)



Buyer Seller Meet during Inter-State Horti Sangam at CCOI, New Delhi



Farmers Conference during Inter-State Horti Sangam at CCOI, New Delhi



Inauguration by Hon'ble Union Agriculture Minister Sh. Radha Mohan Singh during Inter State Horti. Sangam at Bengaluru, Karnataka (9th to 11th January 2015)



Mother Plant Block for Nursery at Bagalkot, Karnataka



Inter-State Horti Sangam at CCOI, New Delhi (3rd to 5th June 2014)



Mango Nursery in Gujarat State

4. Market Information Service for Horticulture Crops

Coverage of markets by NHB shall be increased from present 36 fruits and vegetables markets to 50 markets. This would be done by outsourcing existing marketing/professional agencies/unemployed Agriculture graduates or recognized/established brokers in Mandi etc. at a fixed monthly remuneration (including transport) per month as decided by the Board plus actual expenses on transmission of information to NHB (fax, internet and telephone). The NHB would identify these markets in consultation with concerned State Govts. An exclusive cell shall be set up at NHB, Gurgaon for on-line receipt, data entry, analysis, dissemination and web-site management. The work relating to this proposed MIS cell shall also be undertaken by outsourcing services of selected professional agency. To deal with work of computerization, development of technology package, data feeding etc., outsourced staff such as Senior Programmer, Programmer



Awareness Programme at Gorakhpur, UP



Kisan Goshthi avam Jagrukata Programme, Udham Singh Nagar, Uttarakhand

and Data Entry Operators and horticulture assistant may be engaged as per need at approved rates under TSG component of MIDH. The cell will also be responsible for undertaking development of technology packages in electronic form and information dissemination through publicity, printed literature etc. and local advertisements. The expenditure amounting to Rs. 766.40 lakh has been incurred by the Board under this scheme during the year.

Objectives

- ❖ To generate information on wholesale prices, arrivals and trends in various markets of the country for important fruits, vegetables & flowers etc and also on retail prices for increased number of selected markets
- ❖ To analyze the trends of arrivals, prices and other related factors of the selected fruit and vegetables such as stock in storage, crop stand etc and generate Market Intelligence Reports
- ❖ To establish a nation-wide communication network for speedy collection and dissemination of market information data for its efficient and timely utilization.
- ❖ To prepare farmers' advisory and issue the same for the benefit of producer farmers especially by making use of statistics so generated and collected for optimizing returns to the producers
- ❖ To collect and compile horticulture database and strengthen existing system of 'Crop Estimation Survey- Fruits & Vegetables' (CES-F&V) as far as possible
- ❖ Information dissemination through publicity, advertisements, films, printed literature etc.

- ❖ Development of technology packages in electronic form to be shared through IT

The details of publications of NHB are given at **Annexure-V**.

5. Horticulture Promotion Services /Expert Services and Strengthening Capability of NHB

Under this component, specialized studies and surveys shall be carried and study / survey reports shall be brought out for use by targeted beneficiaries. In addition, technical laboratories shall be set up or cause to be set up and also provide technical services including advisory and consultancy services.

This shall be done by NHB with or without services of outsourced experts and under this scheme, 100% financial assistance is provided through Nodal Organizations viz. NHB itself, State Governments/UTs and Organizations under it, Central Government Organizations/ Agencies and other Organizations such as Quality Council of India/ NHRDF, etc.

An amount of Rs. 926.32 lakh has been incurred under this scheme.

Other inter-ministerial activities

HIGHLIGHTS - Year 2014-15

1) Implementation of integrated Cold Chain Projects of MoFPI relating to Horticulture

Ministry of Food Processing Industries (MoFPI) has appointed NHB to play the role of Project Management Implementation Agency (PMIA) in respect of Integrated Cold Chain Infrastructure for horticulture projects under the scheme of Cold Chain, Value

Addition and Preservation Infrastructure since 05.01.2012 in concurrence with Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Govt. of India.

The outlines for implementation of the scheme are as under:

- i. NHB will implement the cold chain projects under the scheme of Ministry of Food Processing Industries relating to horticulture products in accordance with the guidelines of the scheme.
- ii. Selection of entrepreneurs and approval of their projects will be done by MoFPI. NHB will act as Programme Implementing Agency who will be responsible for receipt of the proposals, appraisal, submission of appraisal note to the technical committee/approval committee, release of installments, monitoring the implementation including undertaking physical verification of the project before release of every installment.
- iii. Ministry will release grant to NHB in installments and after its utilization by

NHB as per the prescribed guidelines, utilization certificates will be submitted by NHB to MoFPI.

- iv. NHB shall maintain separate accounts for the grants under this scheme including the interest earned on the same.
- v. NHB will not be entitled for any charge for implementation of the scheme.

NHB has further utilized the services of IL & FS who were engaged as a Project Monitoring Agency (PMA) since 22.11.2012 entailing professional fees charge @ 0.84% of total grant to be approved under the scheme in addition to service tax of 12.36%. An amount of Rs. 25,65,394.00 released as professional fees to PMA during the financial year 2014-15 hence total amount of Rs. 2048.08 lakhs has been released during the financial year under report.

During the year, NHB has released grants for the following MoFPI projects:

Sl. No.	Name of the Project	Sanctioned Amount (Rs. in lakhs)	Amount Released (Rs. In lakhs)	Physical progress during release
A 1.	M/s Global Entrade, Guwahati (Assam)	936.945	468.47	Land development and boundary wall completed. Office room, store room, labour quarters, toilet, septic tank and well are completed. Integrated cold chain unit completed up to plinth level. Entire PEB material with accessories installed. Orders for plant and machinery had been placed.
2.	M/s. Haldiram Foods International Ltd, Distt – Nagpur, (MH).	1000.00	500.00	Civil work of cold storage consisting of 3 chambers have been found completed, Anti room, spiral freezer section and receiving section was found completed. Plant & machinery were found installed.

Sl. No.	Name of the Project	Sanctioned Amount (Rs. in lakhs)	Amount Released (Rs. In lakhs)	Physical progress during release
3.	M/s. Western Hill Foods Limited, Mumbai, (MH)	767.64	383.82	Civil works for main cold chain facility, 4 collection centre and tank of 4.50 lakh litres capacity was found completed. Preparation and processing equipments, fruit and vegetable processing & freezing section completed. ETP, STP, WTP, raking system for cold store found functional.
4.	M/s Utsav Organic & Cold Chain, Raipur (MP)	607.31	288.26	Two cold storage chambers were completed and found in running condition. Two more chambers, TCW and internal mezzanine floors were completed and another two are at plinth level. PEB structure was completed. Plant & machinery was partially purchased for cold storage only. Two refer vans were purchased and TCW also completed for pre-cooling unit, G/P shed and repining chamber.
5.	M/s M J Logistic Services Ltd., Dist- Palwal, (Haryana)	763.76	381.88	Refrigeration Rack System (pre-cooling chamber and cold storage, chiller & freezer including ante room and blast freezer yet to be established. Ripening chamber and IQF is yet to be installed.
TOTAL-A (1 to 11)		4075.655	2022.43	-----

2) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मुख्यालय में हिन्दी दिवस/पखवाड़ा-2014 का आयोजन

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (रा.बा.बो.) में प्रत्येक वर्ष हिन्दी दिवस/पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष की तरह सितम्बर 2014 में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन

प्रतियोगिताओं में रा.बा.बो. के अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हिन्दी दिवस कार्यक्रम में इन हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को स्मृति-चिह्न एवं प्रमाणपत्र और अन्य प्रतिभागियों को प्रतिभागिता प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर, भारत सरकार की नकद पुरस्कार योजना के विजेताओं को पुरस्कार राशि के चेक के साथ स्मृति-चिह्न भी प्रदान किए गए।

रा.बा.बो. प्रबंधन अपनी संस्था में संघ की राजभाषा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए कृत संकल्प है और इस दिशा में निरन्तर प्रयासरत् है।



रा.बा.बो. मुख्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस-2014 कार्यक्रम में हिन्दी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया।

Prize Distribution on closing ceremony of Hindi Pakhwara 2014 organized at NHB, Head Office (15th September 2014)

Objectives of the National Horticulture Board

- i. Development of hi-tech commercial horticulture in identified belts and make such areas vibrant with horticultural activity, which in turn will act as hubs for development of horticulture
2. Development of modern post-harvest management infrastructure as an integral part of area expansion projects or as common facility for cluster of projects
3. Development of integrated, energy efficient cold chain infrastructure for fresh horticulture produce,
4. Popularization of identified new technologies / tools / techniques for commercialization / adoption, after carrying out technology and need assessment
5. Assistance in securing availability of quality planting material by promoting setting up of scion and root stock banks / mother plant nurseries and carrying out accreditation / rating of horticulture nurseries and need based imports of planting material.
6. Promotion and market development of fresh horticulture produce.
7. Promotion of field trials of newly developed/imported planting materials and other farm inputs; production technology; PHM protocols, INM and IPM protocols and promotion of applied R&D programmes for commercialization of proven technology.
8. Promotion of Farm Mechanization in Horticulture through demonstration and its uses at farmers field level to reduce labour cost and increase the productivity of Horticulture crops.
9. Promotion of applied R & D for standardizing PHM protocols, prescribing critical storage conditions for fresh horticulture produce, bench marking of technical standards for cold chain infrastructure etc.,
10. Transfer of technology to producers/ farmers and service providers such as gardeners, nurserymen, farm level skilled workers, operators in cold storages, work force carrying out post harvest management including processing of fresh horticulture produce and to the master trainers.
11. Promotion of consumption of horticulture produce and products.
12. Promoting long distance transport solution for bulk movement of horticulture produce through rail etc.,
13. Carrying out studies and surveys to identify constraints and develop short and long term strategies for systematic development of horticulture and providing technical services including advisory and consultancy services.

Annexure-II

List of the Board of Directors of National Horticulture Board (as on 31.03.2015)

Sl. No	Name of the Director	Status
1.	Shri Radha Mohan Singh Hon'ble Union Minister for Agriculture Krishi Bhavan, New Delhi	Ex-officio President
2.	Sh. Sanjeev Kumar Balyan Hon'ble Minister of State for Agriculture Krishi Bhawan, New Delhi	Ex-officio Vice-President
3.	Shri Ashish Bahuguna Secretary (A&C) & Chairman, MC, NHB Krishi Bhavan, New Delhi	Ex-officio Member
4	Dr. S. Ayyappan Director General Indian Council of Agriculture Research Krishi Bhavan, New Delhi	Ex-officio Member
5	Shri Raghav Chandra Addl. Secretary & Financial Adviser DAC, Krishi Bhavan, New Delhi	Ex-officio Member
6	Shri D. K. Jain Additional Secretary DAC, Krishi Bhavan, New Delhi	Ex-officio Member
7	Shri Sanjeev Chopra Joint Secretary(NHM) DAC, Krishi Bhavan, New Delhi	Ex-officio Member
8	Dr. S. K. Malhotra Horticulture Commissioner DAC, Krishi Bhavan, New Delhi	Ex-officio Member
9	Shri J. P. Mishra Adviser (Agriculture) Planning Commission, Yojana Bhavan, New Delhi	Ex-officio Member
10	Shri Santosh Sarangi Chairman Agricultural & Processed Food Products Export - Development Authority (APEDA) Siri Institutional Area, 3 NCUI Building August Kranti Marg, New Delhi	Ex-officio Member
11	Shri J.P. Meena Additional Secretary Ministry of Food Processing Industry Pancheel Bhavan, New Delhi – 110 049	Ex-officio Member

Sl. No	Name of the Director	Status
12	Shri Shridhar Shankarrao Thakare At/Post- Ashti Taluka- Ashti Dist- Wardha (Maharashtra)	Non-Official Member
13	Shri M. Babu 16/2, Hennagara Main Road Hennagara, Anekal Taluka Bangalore District – 560 105 Karnataka State	Non-Official Member
14	Shri B. K. Chena Jairampur Town PO & PS Jairampur Changlang District Arunachal Pradesh	Non-Official Member
15	Shri Ajit Ghorpade Shetkari Sahkari Dudh Sangh Kavathemahankal At/Post/tah- Kavathemahankal Distt. Sangli, MH-416415	Non-Official Member
16	Shri C. Sambasiva Rao S/o Shri Lakshmana Rao, Flat No. 301, Udaya Crest New Bakaram	Non-Official Member
17	Shri Insram Ali President Mango Growers Association of India, Mango House, Mallihabad Lucknow (UP)	Non-Official Member
18	Shri Feroze N. Masani Hirabaug, Gangapur B. O. Via YCMOU P.O. Nasik – 422222 (MS)	Non-Official Member
19	Shri G. Gurusiddaiah No. 29, 2nd Cross, Syndicate Bank Colony, Arakere Gate, Bannerghatta Road, Bangalore-560076	Non-Official Member
20	Shri R.K. Kedia Radha Krishna Impex Pvt. Ltd, Radha Krishna Niwas, Sikanderpur, Muzaffarpur, Bihar	Non-Official Member
21	Shri R. Murthy Secretary, Flower Grower Association # 261, 5th Street, Anandhagiri, Kodaikanal, Tamil Nadu Dindigul-624101	Non-Official Member
22	Shri Sopan Kanchan, Irrigation Colony, APO: Uruli Kanchan Distt. Pune-412202	Non-Official Member
23	Dr. A.K. Singh MD, NHB, Gurgaon	Ex-officio Member Secretary

Annexure-III

The Managing Director is the Principal Executive of the National Horticulture Board Shri Rajendra Kumar Tiwari, IAS was the Managing Director during 01.04.2014 to 24.01.2015 and Dr. A.K. Singh resume office of Managing Director w.e.f. 19.02.2015. The Board has its Head Office at Gurgaon and 36 Centres located all over the Country. The Managing Director is assisted by Technical and Administrative Divisions. The total regular sanctioned posts in the Board are 155.

Details of sanctioned posts with position as on 31.03.2015 are as under:

Sl. No.	Name of the post	Scale of pay	Grade pay	Present Position		
				No. of Posts Sanctioned	Filled	Vacant
Group 'A'						
1.	Managing Director	37400-67000	10000	1	1	-
2.	Additional Managing Director	37400-67000	8900	1	1	-
3.	Director (Personnel)	15600-39100	7600	1	-	1
4.	Joint Director	15600-39100	6600	5	5	-
5.	Joint Director (F&A)	15600-39100	6600	1	1	-
6.	Deputy Director (Computer)	15600-39100	5400	1	1	-
7.	Deputy Director	15600-39100	5400	30	25	5
			Total	40	34	6
Group "B"						
1.	Accounts Officer	9300-34800	4600	1	1	-
2.	Sr.Admn.Officer	9300-34800	4600	3	2	1
3.	Technical Officer (Computer)	9300-34800	4600	2	2	-
4.	Administrative Officer	9300-34800	4200	1	1	-
5.	Sr.Accountant	9300-34800	4200	2	2	-
6.	Sr.Hindi Translator	9300-34800	4600	1	1	-
7.	Sr. Horticulture Officer	9300-34800	4200	18	16	2
8.	Hindi Translator	9300-34800	4200	1	1	-
9.	Jr. Accountant	9300-34800	4200	2	1	1
10.	Horticulture Officer	9300-34800	4200	17	7	10
			Total	48	34	14

Sl. No.	Name of the post	Scale of pay	Grade pay	Present Position		
				No. of Posts Sanctioned	Filled	Vacant
Group “C”						
1.	Personal Executive	5200-20200	2400	5	4	1
2.	Computer Executive	5200-20200	2400	7	6	1
3.	LDC	5200-20200	1900	5	4	1
4.	Hindi Typist	5200-20200	1900	1	1	-
5.	Driver	5200-20200	1900	3	3	-
6.	Electrician-cum-Tube well Operator	5200-20200	1900	1	1	-
			Total	22	19	3
Group “D”						
1.	Messenger/Multi tasking staff	5200-20200	1800	40	39	1
2.	Mali	5200-20200	1800	5	5	-
			Total	45	44	1
Grand Total						
1.	Group “A”			40	34	6
2.	Group “B”			48	34	14
3.	Group “C”			22	19	3
4.	Group “D”			45	44	1
Total				155	131	24

Annexure-IV

List of Unit/ Branch Offices of the National Horticulture Board along with their Complete Address

01	National Horticulture Board Plot No. 60, 3rd Floor, Krishna Apartment, Azad Society, Ambawadi Ahmedabad-380 015 Tele/Fax 079-26766416,26766413 E-mail: nhbahd@yahoo.co.in	07	National Horticulture Board S.C.O. 85, 2nd Floor, Sector - 40-C, Chandigarh-160 047 Tele/Fax 0172-2625249,2625269 E-mail: nhb_chd@yahoo.co.in
02	National Horticulture Board No.14/43, 2nd Floor, 1 & 2 Stage Industrial Suburb, Tumkur Road, Yeshwantpur, Bangalore-560 022 Tele/Fax 080-23371935,23374149 E-mail: nhbblr@yahoo.com	08	National Horticulture Board 19-22, (Garage) Krishi Bhawan, New Delhi-110 001 Tele/Fax 011-23097015,23073019 E-mail: kctomar200@yahoo.com
03	National Horticulture Board 32, Purjor House 1st Floor, Indira Press Complex, M.P Nagar, Zone -I Bhopal- 462011 Tele/Fax 0755 – 2761741, Email:bplnhb@rediffmail.com	09	National Horticulture Board Chang Choop Building, Near Nayuma Television, Tibet Road, Gangtok-737 101 Tele/Fax 03592-208453,220975 E-mail: nhbgangtok@yahoo.com
04	National Horticulture Board N-1/7, I.R.C. Village, Nayapalli, Opp. CRPF Gate Bhubaneswar- 751015(Odisha) Tele/Fax :0674-2558134,2559620 Email :nhbbbsr@gmail.com	10	National Horticulture Board Chhibber House, 4th Floor, Dispur P.O., Guwahati-781 005 Tele/Fax 0361-2343719,2340695, E-mail: nhbghy@gmail.com
05	National Horticulture Board Room No. 317, 4thFloor, Central Facility Building, APMC Fruit Market Complex, Sector-19, Turbhe Vashi Navi Mumbai - 400 703 Tele/Fax 022-27830107 E-mail: nhbpune@gmail.com	11	National Horticulture Board No.2,5-9-195, WILLIAM NIVAS Chirag Ali Lane ABIDS Hyderabad-500 001 Tele/Fax: 040-23201140, 23200806 E-mail: nhb.govhyd@gmail.com
06	National Horticulture Board Mayukh Bhawan, 2nd Floor, Salt Lake, Sector-II, Kolkata-700 091 Tele/Fax 033-23377182/23211259 E-mail: nhb_kolkata@yahoo.com	12	National Horticulture Board 2nd Floor, Modak Priyay, Plot No-16 & 17, Near New Atish Market, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur- 302020 Tele/Fax: 0141-2399405, 2390818 E-mail: nhbjpr@yahoo.com
		13	National Horticulture Board C/o. Director of Horticulture Horticulture Complex Cantt Road, Jalandhar (Punjab) Tele/Fax 0181-223048

14	National Horticulture Board C/o. Director of Horticulture 2, Sapru Marg Udyan Bhawan, Lucknow-226 001 Tele/Fax 0522-2623374/2202420,4072096 E-mail: nhblko@rediffmail.com	22	National Horticulture Board Hall No 307, A-2, 3rd Floor, South Block, Bahu Plaza, Rail Head Complex, Jammu-180 004 Tele/Fax 0191-2474349,2474112 E-mail: nhbjammu@rediffmail.com
15	National Horticulture Board Module No.37, 2nd Floor, SIDCO Readymade Garment Complex, Industrial Estate Guindy, Chennai-600 032 Tele/Fax 044-22501151/22500965 E-mail: nhbtn@yahoo.com	23	National Horticulture Board S.C.Panwar Market Yard, Commercial Complex No.1, Peth Road Panchwati, Nashik-422003 Tele/Fax 0253-2534558,2533715 E-mail: nhbnashik@yahoo.com
16	National Horticulture Board 3rd Floor, MECL Complex (Near TV Tower), Seminary Hills, Nagpur-440 006 Tele/Fax: 0712-2513030, 2513110 E-mail: nhbnagpur@rediffmail.com	24	National Horticulture Board MCAER Building 132/B, Bhambhurda Bhosale Nagar, Pune-411 007 Tele/Fax 020-25530582-83 E-mail: nhbpune@yahoo.com nhbpune@gmail.com
17	National Horticulture Board Verma Centre, 5th Floor, Room No 501, 502, Boring Canal Road, Patna-800 001 Tele/Fax 0612-2541218,2541128 E-mail: nhbpatna@gmail.com	25	National Horticulture Board C/o. Suprintendent Garden, Shahjan Park, Tajganj, Agra-282 001 Tele/Fax 0562-2331470
18	National Horticulture Board HPMC, 2nd Floor, Nigam Vihar Shimla- 171 002 Tele/Fax 0177-2622908/2623801 E-mail: nhbhp2004@yahoo.com	26	National Horticulture Board 133/54, '0' Block Kidwai Nagar, Kanpur Tele/Fax 0512-2607631
19	National Horticulture Board Horticulture Complex Rajbagh Srinagar-190 008 Tele/Fax 0191-2474349 (PP) E-mail: nhbjammu@rediffmail.com	27	National Horticulture Board Residency Kothi (Complex), Indore-452001 Tele/Fax 0731-2701522
20	National Horticulture Board UR-10, Uppalam Raod Status, Trivendrum-695 001 Tele/Fax 0471-2470505, 2470506, E-mail: nhbtvm@gmail.com	28	National Horticulture Board Laxmi Niwas, Krishi Bhawan Kankey Road, Ranchi-834 008 Tele/Fax 0651-2230132,2233832 E-mail: nhbranchi@gmail.com
21	National Horticulture Board Municipal Stadium Complex, Vijayawada-520 010 Tele/Fax 0866-2473351	29	National Horticulture Board 310/311, 3rd Floor, I.D.Shopping Center Near Shivaji Statue, Sahara Darwaja, Surat-395 003 Tele/Fax 0261-2311343
		30	National Horticulture Board Plot No. 142, 1st Floor, Seikkilar Street Extension Bibikulam, Madurai - 625 002 Tele/Fax 0452-2531195

31	National Horticulture Board H. No. 470, Behind Ashoka Cinema Diwan Colony, Karnal-132 001	34	National Horticulture Board Naveen Sabzi Mandi Ashthal, Krishi Utpadan Mandi Samiti, Niranjapur, Dehradun- 248171 Tele/Fax 0135-2761922,2762767,2725517 E-mail : nhb_dehradun@yahoo.com
32	National Horticulture Board C/o. Directorate of Horticulture Room No. 13, 2nd Floor, Kheti Bhawan, Ranjeet Enclave, Amritsar-143 001 Tele/Fax 0183-2500236	35	National Horticulture Board H.N. 42, 1st Floor, Jal Vihar Colony, Near Rotary Club of India, Telibandha, Raipur-492001 Tele/Fax 0771-2423992 E-mail: nhbraipur@yahoo.co.in
33	National Horticulture Board Vikas Bhawan, Fazilka Road, Abohar-152 116 Tele/Fax 01634-23082	36	National Horticulture Board C/o Regional Institute of Rural Development, Delhi-Saharanpur Road, Baraut (Baghpat) Tele/Fax 01234-251723 E-mail: nhbbaraut_2007@yahoo.com

List of NHB Publications

Regular Publication

1.	Horticulture Information Service (Monthly)- Annual Subscription Commercial Organization Institutes and Libraries Single Copy	Rs. 750/- Rs. 650/- Rs. 75/-
2.	Facts and Figures (Indian Fruit & Vegetable)	Rs. 600/-
3.	NHB Production Year Book - 1997	Rs. 500/-
4.	Indian Horticulture Database (1998)	Rs. 850/-
5.	Indian Horticulture Database (1999)	Rs. 500/-
6.	Indian Horticulture Database (2000)	Rs. 300/-
7.	Indian Horticulture Database (2001)	Rs. 650/-
8.	Indian Horticulture Database (2002)	Rs. 650/-
9.	Indian Horticulture Database (2003) (with CD-Rom)	Rs. 850/-
	Indian Horticulture Database (2003) (without CD-Rom)	Rs. 650/-
	Indian Horticulture Database (2003) (Only CD-Rom)	Rs. 250/-
10.	Indian Horticulture Database (2004)	Rs. 650/-
11.	Indian Horticulture Database (2005)	Rs. 700/-
12.	Indian Horticulture Database (2006)	Rs. 700/-
13.	Indian Horticulture Database (2008)	Rs. 700/-
14.	Indian Horticulture Database (2009)	Rs. 700/-
15.	Indian Horticulture Database (2010)	Rs. 700/-
16.	Indian Horticulture Database (2011)	Rs. 700/-
17.	Indian Horticulture Database (2012)	Rs. 700/-
18.	Indian Horticulture Database (2013)	Rs. 700/-
19.	Indian Horticulture Database (2014)	Rs. 700/-

Other Publications

1.	First National Conference on Bee Keeping	Rs. 75/-
2.	Wholesale Marketing of Fruits and Vegetables in Metropolitan Cities (1991-95)	Rs. 400/-
3.	Wholesale Marketing of Fruits and Vegetables in Metropolitan Cities (1995-99)	Rs. 300/-
4.	Approaches for Sustainable Development for horticulture	Rs. 500/-
5.	Horticulture in India	Rs. 500/-
6.	Indian Horticulture- A Road Map	Rs. 500/-

Note: Demand Draft must be sent in favour of National Horticulture Board payable at Gurgaon (Haryana)

**Annual Account of the
National Horticulture Board
for the Year 2014-15**



भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान निदेशक - लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (CENTRAL),
CHANDIGARH - 160017

क्रमांक/No.: पी.डी.ए. (सी.)/के.व्यय/SAR/2015-14/134
दिनांक/Dated: 15/12/15

To

The Secretary,
Ministry of Agriculture,
Government of India,
New Delhi.

Subject: Separate Audit Report on the annual accounts of National Horticulture Board, Gurgaon for the year ended 31 March 2015.

Sir,

I enclose a copy of the Separate Audit Report on the annual accounts of National Horticulture Board, Gurgaon for the year ended 31 March 2015 to be placed before both the Houses of Parliament. The report may be kept confidential till its presentation in the Parliament.

Kindly send us five copies of the above report after its presentation.

Please acknowledge receipt of this letter.

Yours faithfully,

Encls: as above

sl
Principal Director

✓ Copy forwarded to the Director, National Horticulture Board, Gurgaon alongwith Separate Audit Report for the year ended 31 March 2015 for information please.

RPS
Deputy Director

लेखा परीक्षा भवन, सैक्टर 17-ई, चण्डीगढ़
दूरभाष: 0172-2782020 फैक्स: 0172-2782021

Lekha Pariksha Bhawan, Sector 17-E, Chandigarh
Tel.: (Off.) 0172-2782020 and (Fax) 0172-2782021

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Horticulture Board, Gurgaon for the year ended 31 March 2015.

We have audited the Balance Sheet of National Horticulture Board, Gurgaon as at 31 March 2015, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period upto 2016-17. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance, Government of India.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by National Horticulture Board, Gurgaon in so far as it appears from our examination of such books.

iv) We further report that:

A. General:

A.1. The significant Accounting Policy No. 12 of National Horticulture Board the Provision towards Gratuity Payable on Death/Retirement of employees is accounted for on accrual basis and provision for accumulated leave encashment benefit of employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end. AS – 15 of ICAI indicates that Employees Benefits obligations are to be done on Actuarial Valuation Method. Thus, the accounting of Employee Benefits of the Board is not in consonance with the Accounting Standard 15.

A.2. The Board has not provided liability of Rs.8.48 crore of unutilized grants on Current Liability.

B. Grants-in-Aid

Out of the total Grant of Rs.242.74 crore (including unspent balance of Rs.10.34 crore of the previous year, grant received during the year 2014-15 of Rs.230.05 crore and Board's Misc. receipts of Rs.2.35 crore), the Board could utilize a sum of Rs.229.42 crore and refunded Rs.4.84 crore to the Government leaving a balance of Rs.8.48 crore as unutilized as on 31.03.2015.


v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above

and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of National Horticulture Board, Gurgaon as at 31 March 2015; and
- b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India.



Principal Director of Audit
(Central), Chandigarh.

Place: Chandigarh
Date:

Annexure to Separate Audit Report**1. Adequacy of Internal Audit**

The Internal Audit of NHB, Gurgaon for the year 2014-15 was assigned to firms of Chartered Accountants.

2. Adequacy of Internal control system

The internal Control is considered to be inadequate as:

- (i) the Board has not prepared its accounting manual so far; and
- (ii) the Chandigarh Centre of NHB has been maintaining the accounts on cash basis instead of accrual basis. No journal vouchers were passed in NHB, Chandigarh Centre, during the year 2014-15, as centre has been following single entry system.

3. Physical verification of Fixed Assets

Physical verification of Fixed Assets as on 31-03-2015, as shown in the Balance Sheet was conducted.

4. Physical verification of Inventory

Physical verification of Inventory as on 31-03-2015, as shown in the Balance Sheet was conducted.

5. Statutory dues


As per books of accounts, the Board was regular in depositing undisputed statutory dues.


Deputy Director

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURGAON
BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2015

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CORPUS / CAPITAL FUND	1	1,270,290,541	1,206,885,573
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	7,063,587	4,940,099
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	366,801,543	350,110,671
TOTAL		1,644,155,671	1,561,936,343
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	21,244,630	22,928,906
INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS - OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	11	1,622,911,041	1,539,007,437
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		1,644,155,671	1,561,936,343
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		



Place : Gurgaon sd/-
Date : 29.06.2015 Managing Director



sd/-
Additional Managing Director




sd/-
Joint Director

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURGAON
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31,2015

(Amount in Rs.)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
Income from Misc. Services	12	24,147,572	73,031
Grants/ Subsidies	13	2,064,400,000	2,705,694,000
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments	15	-	-
(Income on Invest. From earmarked/ endow. Funds transferred to funds)			
Income from Royalty, Publication etc.	16	34,975	73,725
Interest Earned	17	108,941,199	105,258,732
Other Income	18	844,887	1,356,570
Increase/(Decrease) in stock of finished goods and WIP	19		-
TOTAL (A)		2,198,368,633	2,812,456,058
EXPENDITURE			
Establishment expenses	20	81,298,631	72,124,700
Other Administrative Expenses etc.	21	23,500,789	17,244,222
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	1,969,028,753	2,713,789,125
Interest	23	76,017	20,942
Depreciation (Net total at the year end - corresponding to Sch 8)	8	3,075,718	3,430,444
TOTAL (B)		2,076,979,908	2,806,609,433
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)			
- For the Funds other than Cost of application form & scheme broucher amount		97,241,153	5,773,594
- Cost of application form & scheme broucher		24,147,572	73,031
Transfer to Provision for Doubtful Debts (Reverse)		(1,770,349)	(18,317,365)
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND FOR OTHER THAN APPLICATION FORM AND SCHEME BROCHURE AMOUNT		99,011,502	24,090,959
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND FOR APPLICATION FORM AND SCHEME BROCHURE AMOUNT		24,147,572	73,031
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		



Place : Gurgaon
 Date : 29.06.2015 Managing Director



sd/-
 Additional Managing Director



sd/-
 Joint Director

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

RECEIPTS AND PAYMENT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2015

Amount in Rs.

RECEIPTS	2014-15 Current Year	2013-14 Previous Year	PAYMENTS			2014-15 Current Year	2013-14 Previous Year
I. Opening Balances			I. Expenses				
a) Cash in hand	86,673	107,482	a) Establishment Expenses			62,160,112	65,778,843
b) Bank Balances			b) Administrative Expenses			23,580,930	17,098,164
i) in current accounts	-	-	II. Payments made against funds for Various Schemes		NHB Schemes		
ii) in deposit accounts	725,000,000	675,000,000			Other than North East		
iii) in saving accounts	247,631,493	410,470,882			NE States		
iv) in deposit accounts (processing fee / Cost of Application form & scheme broucher A/c)	220,000,000	220,000,000			States		
			i) Development of Commercial Horticulture through Production and Post - Harvest Management				
II. Grants Received							
a) From Government of India			-Subsidy		792,226,928	2,952,709	795,179,637
i) For NHB schemes			-Legal & Professional Charges		715,250		715,250
- For other than NE states							
- From NHB Budget	1,998,600,000	1,968,000,000					
- From NHM Budget	-	678,000,000					
- For NE states	65,800,000	59,694,000	ii) Capital Investment Subsidy for Constrn/Modernization/ Expansion of Cold Storage and Storages for Hort. Prod				
ii) For NHM schemes :							
- For Cold Storage Scheme	-	-	-NHB Scheme		969,189,000	53,500,118	1,022,689,118
- For TSG component	26,303,000	20,000,000	-HMNEH Scheme		-	-	116,002,000
iii) For HMNEH Schemes							
- North East States & Sikkim -	-	126,360,000	iii) Technology Development and Trfr for Promotion of Hort		68,530,498	3,811,409	72,341,907
- J & K, H.P & UKD -			iv) Market Information Services for Horticulture Crops		75,929,237		75,929,237
			v) Horticulture Promotion Services		2,173,604	-	2,173,604
							9,590,606


RECEIPTS	2014-15 Current Year	2013-14 Previous Year	PAYMENTS				2014-15 Current Year	2013-14 Previous Year
vi) For NBM schemes	5,000,000	902,000						
v) For MFPI schemes	204,808,394	214,680,613						
v) For National Mission On Saffron schemes	-	-						
b) From State Government	-	-	vi) National Bamboo Mission (Support Services)				3,468,967	2,495,794
			vii) National Horticulture Mission (TSG)				24,976,235	18,863,239
			viii) National Mission on Saffron				1,418,548	35,768,845
			ix) MoFPI				204,808,394	265,806,273
III. Income on Investments from			III. Investments & Deposits made					
a) Earmarked/Endow. Funds	-	-	a) Out of Earmarked/Endowment funds					-
b) Own Funds (oth. Investment)		-	b) Out of Own funds (Investments- Others)					-
			IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress					
IV. Interest Received			a) Purchase/Additions to Fixed Assets					
a) On Bank deposits & Saving Bank Accounts for			i) From the Budget of Strengthening capabilities of NHB				681,073	2,052,844
- NHB Funds	104,818,569	108,881,065	ii) From the Budget of Marketing Information Service Scheme				710,367	825,056
- NHM Funds	172,302	764,659	b) Expenditure on Capital Work-in-Progress					
- NBM Funds	90,279	65,576						
- HMNEH Funds	723,579	3,495,234						
- MoFPI Funds	673,792	1,322,773	V. Refund of Surplus money/Loan					

RECEIPTS	2014-15 Current Year	2013-14 Previous Year	PAYMENTS				2014-15 Current Year	2013-14 Previous Year
-National Mission on Saffron Funds	421,659	1,451,845	a) To the Government of India					
			-HMNEH				723,579	71,427,529
			-MFPI				673,792	3,673,763
b) Loans, Advances etc.	-	-	- Department of Agricultural & Coop from Internal Accounts from Grand in Aid					
V. Other Income (Specify)							46,341,000	-
Rent from IOB	168,180	168,180	b) To the State Government				18,330,000	-
			c) To the other providers of funds				-	-
Cost of Application form & scheme broucher	38,970,687	14,885,599	VI. TDS DEDUCTED AT SOURCE BY BANK				3,935,249	8,795,725
Misc. Receipts	423,629	179,879	VII. Other Payments (Specify)					
Earnest Money Deposit	-	80,000	Advance to Staff				2,874,323	351,800
Refund of security deposit at centres	-	247,879	Earnest money refunded				665,000	-
GSLIP received during year	-	74,874	Advance to Others				496,869	-
VI. Amount Borrowed	-	-						
			VIII. Payments from Cost of Application Form & Scheme broucher					
VII. Any other receipts (give details)							9,126,317	8,366,529
a) Recovery of staff advance(Incl. Intt.)	1,015,035	1,870,581	- Payment to Contractual Data Entry Operators				4,879,514	4,875,716
b) Recovery of Loan under NHB Scheme	3,038,281	18,562,236	- Scrutiny fees cold storage				229,700	1,054,075
			- Travelling Expenses & consultancy fees of Experts					
c) Unspent funds received back from beneficiaries under various schemes to whom funds were released in previous years under NHB Schemes			- Payment for NHB Publication				353,084	516,248
- For NE States	-	-	- AMC Website				234,500	-
- For Other than NE States	4,489,760	3,642,285	IX. Closing Balances					
			a) Cash in Hand					
			At Head Office			18,492		
			At NHB Centres			104,554	123,046	86,673
d) Reversal of Stale cheque amt of the last year								
- For NE States	-	-	b) Bank Balances					
- For Other than NE States	427,134	494,305	i) In current accounts					

RECEIPTS	2014-15 Current Year	2013-14 Previous Year	PAYMENTS			2014-15 Current Year	2013-14 Previous Year
	-	-	ii) In deposit accounts (NHB's internal accrual amount)			780,000,000	725,000,000
			iii) in deposit accounts (processing fee Amount)/ Cost of Application form & Scheme broucher			220,000,000	220,000,000
			iv) in Saving accounts				
			- At NHB Centres - Imprest amount		7,821,383		5,197,386
			- At NHB Centres - Subsidy amount		2,415,199		4,760,702
			-At NHB Centres - Cost of Application form & Scheme broucher		2,857,362		288,632
			- At Head Office				
			- For NHB Schemes & internal accruals		144,257,884		196,559,058
			- For Cost of Application form & Scheme broucher		104,427,678		35,880,821
			- For NHB Schemes		4,447,117		2,813,023
			- For NBM Schemes		1,948,069		452,512
			- For HMNEH Scheme		-		-
			- For National Mission on Saffron		464,330		1,466,016
			- For Mo FPI Scheme		-		-
			- For NHB Delhi centre		7,897		142,924
			- For NBM Delhi centre		196,173	268,843,094	70,418
Total	3,648,662,447	4,529,401,948	Total			3,648,662,447	4,529,401,948

Place : Gurgaon
Date : 29.06.2015


sd/-
Managing Director


sd/-
Additional Managing Director



sd/-
Joint Director

Receipt & Payment Account

Establishment Expenses for the year 2014-15

Amount in Rs.


Sr. No.	Particulars	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	EPF Board' contribution	10,187,242	9,848,183
2	Leave encashment	1,625,974	3,009,615
3	LTC claim	978,922	1,392,888
4	Medical reimbursement	4,017,224	4,654,950
5	Pay & Allowance	42,345,577	42,733,866
6	Overtime Allowance	4,959	10,868
7	Staff Welfare	550,919	438,650
8	Bonus	385,676	124,540
9	Children Education Allowance	1,198,191	737,946
10	Gratuity paid during the year	789,294	2,827,337
11	GSLIP	76,134	-
	Total	62,160,112	65,778,843



Place : Gurgaon
Date : 29.06.2015

sd/-

Managing Director



sd/-

Additional Managing Director



sd/-


Joint Director

Receipt & Payment Account

Administrative Expenses for the year 2014-15

Amount in Rs.

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Electricity & Power	2,350,633	1,770,307
2	Bank charges	76,017	20,942
3	Generator running & Maintenance	792,900	914,028
4	Insurance	19,808	17,048
5	Repair & Maintenance	5,848,784	469,014
6	Security Charges & house keeping Exp.	3,531,231	3,110,175
7	Vehicle running & maintenance	282,891	345,915
8	Postage, telephone & communication charges	950,911	923,546
9	Printing & stationary	820,883	1,307,750
10	Conveyance & travelling	5,098,752	5,118,320
11	Newspaper & periodicals	65,197	52,859
12	Office expenses	632,615	284,106
13	Expenses on meeting & entertainment	169,352	233,936
14	Auditor remuneration & fees	493,370	602,078
15	Legal & professional charges	1,267,810	668,999
16	Advertisement & publicity	610,929	672,768
17	Photocopy charges	568,846	586,373
	Total	23,580,930	17,098,164



Place : Gurgaon
Date : 29.06.2015

sd/-

Managing Director



sd/-

Additional Managing Director




sd/-

Joint Director

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURGAON
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2015


(Amount in Rs.)

Schedule 1 - Corpus/ Capital Fund:	Current Year		Previous Year	
Balance as at the beginning of the year				
a. For the Funds other than Processing Fee and Application form amount	926,741,609		927,020,507	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	99,011,502		24,090,959	
Add: Reversal of Stale Cheques	427,134		494,305	
Add: Unspent grant of prior years received back(at centre)	1,622,780		3,027,583	
Add: Unspent grant of prior years received back(at Head Office)	2,866,980		614,702	
Less: Funds Remitted to Government of India	64,671,000		-	
Less: Interest earned on amount of processing fees	4,198,293		3,941,785	
Less: Interest earned on amount of Cost of Application form & scheme brochure	17,113,860	944,686,852	24,564,661	926,741,609
b. For Processing Fee amount	149,784,338		145,842,553	
Add: Interest earned on amount of processing fees	4,198,293	153,982,631	3,941,785	149,784,338
c. Cost of Application form & scheme brochure	130,359,626		105,721,934	
Add: Interest earned on amount of Cost of Application form & scheme brochure	17,113,860		24,564,661	
Add: Reversal of Stale cheque amount of the last year	-		-	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure)	24,147,572		73,031	
Transferred from the Income and Expenditure Account		171,621,058		130,359,626
BALANCE AT THE YEAR END		1,270,290,541		1,206,885,573



Place : Gurgaon
 Date : 29.06.2015 Managing Director

sd/-



sd/-
 Additional Managing Director


sd/-



sd/-
 Joint Director

sd/-

Schedule 2 - Reserves And Surplus :	Current Year		Previous Year	
1. Capital Reserve :				
As per last Account	-			
Additions during the year				
Less: Deductions during the year				
2. Revaluatiuon Reserve :				
As per last Account	-			
Additions during the year				
Less: Deductions during the year				
3. Special Reserves :				
As per last Account	-			
Additions during the year				
Less: Deductions during the year				
4. General Reserve :				
As per last Account	-			
Additions during the year				
Less: Deductions during the year				
TOTAL		-		-



Place : Gurgaon
Date : 29.06.2015

sd/-

Managing Director



sd/-

Additional Managing Director



sd/-

Joint Director

NATIONAL HORTICULTURE BOARD


GURGAON

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

AS AT MARCH 31, 2015


(Amount in Rs.)

SCHEDULE 3 : EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK-UP						TOTAL	
	NHM Scheme	Horticulture North Eastern states (inc sikkim)	Mission J&K, H.P & UTK	NBM Schme	National Mission on Saffron	MoFPI Scheme	Current Year	Previous Year
a. Opening balance of the funds	2,955,947	-	-	522,933	1,461,219	-	4,940,099	149,934,841
b. Additions to the Funds								
i. Grants/ Donations	26,303,000	-	-	5,000,000	-	204,808,394	236,111,394	361,942,613
- For TSG component	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Income from funds (Interest on Saving a/c)	172,302	0	723,579	90,279	421,659	673,792	2,081,611	7,100,087
iii. Unspent grants received back from organisations	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (a + b)	29,431,249	-	723,579	5,613,212	1,882,878	205,482,186	243,133,104	518,977,541
c. Utilisation/ Expenditure towards objectives of funds								
i. Capital Expenditure :								
- Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-
- Grants released for projects	-	-	-	-	-	202,243,000	202,243,000	415,827,660
Total	-	-	-	-	-	202,243,000	202,243,000	415,827,660
ii. Revenue Expenditure :								
- Salaries, Wages and allowances etc.							-	-
- Bank Charges	3,270	-	-	112	-	73	3,455	525
- Other Administrative expenses - TSG	24,972,965			3,468,857	768,548	2,565,394	31,775,764	23,107,966
- Refund to MFPI/HMNEH	-	-	723,579	-	650,000	673,719	2,047,298	75,101,292
Total	24,976,235	-	723,579	3,468,969	1,418,548	3,239,186	33,826,517	98,209,783
Grant Total	24,976,235	-	723,579	3,468,969	1,418,548	205,482,186	236,069,517	514,037,443
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a + b - c)	4,455,014	-	-	2,144,243	464,330	-	7,063,587	4,940,099




Place : Gurgaon
Date : 29.06.2015

sd/-
Managing Director



sd/-
Additional Managing Director




sd/-
Joint Director

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR	PREVIOUS Year
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions		
a. Term Loans	-	-
b. Interest accrued and due	-	-
4. Banks:		
a. Term loans		
- Interest accrued and due	-	-
b. Other loans (specify)		
- Interest accrued and due	-	-
5. Other Insitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (Specify)	-	-
TOTAL		

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions		
a. Term Loans	-	-
b. Interest accrued and due	-	-
4. Banks:		
a. Term loans		
- Interest accrued and due	-	-
b. Other loans (specify)		
- Interest accrued and due	-	-
5. Other Insitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (Specify)	-	-
TOTAL		
Note: Amounts due within one year		



Place : Gurgaon
Date : 29.06.2015

sd/-

Managing Director



sd/-

Additional Managing Director



sd/-


Joint Director

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 6 - DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets				
b. Others		-		-
TOTAL				
Note: Amounts due within one year				

(Amount in Rs.)


SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. CURRENT LIABILITIES				
1. Acceptances				-
2. Sundry Creditors:				
a. For Goods	-			
b. Others			-	
3. Advances Received				
4. Interest accrued but not due on:				
a. Secured loans/ borrowings			-	
b. Unsecured loans/ borrowings			-	
5. Statutory Liabilities:				
a. Overdue	-		-	
b. Others	-		-	
6. Other current liabilities		1,335,058		2,102,439
TOTAL (A)		1,335,058		2,102,439
B. PROVISIONS				
1. For Taxation		-		-
2. Gratuity		65,971,747		54,660,306
3. Superannuation/ Pension		-		-
4. Accumulated leave Encashment		51,624,423		43,707,263
5. Trade Warranties/ Claims		-		-
6. Others - Doubtful Debts		247,870,315		249,640,663
TOTAL (B)		365,466,485		348,008,232
TOTAL (A + B)		366,801,543		350,110,671



Place : Gurgaon
Date : 29.06.2015

sd/-

Managing Director



sd/-

Additional Managing Director



sd/-

Joint Director

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURGAON
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2015

(Amount in Rs.)


SCHEDULE- 8: FIXED ASSETS	Rates of depreciation	GROSS BLOCK			DEPRECIATION			NET BLOCK	
		Cost As at beginning of the year	Additions during the year	Deductions during the year	Cost as at the end of the year	During the year	On deduction during the year	Current year end	Previous year end
			before 30th sep.	after 30th sep.					
A. FROM GRANTS-IN-AID									
(I) FIXED ASSETS									
LAND:									
a. Freehold		3,139,088	-	-	3,139,088	-	-	3,139,088	3,139,088
b. Leasehold		-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDINGS:									
a. On freehold land	10%	22,871,006	-	-	22,871,006	658,860	-	5,929,742	6,588,602
b. On leasehold land		-	-	-	-	-	-	-	-
c. Ownership Flats/ premises		-	-	-	-	-	-	-	-
d. Superstructures on land	10%	162,742	-	-	162,742	4,852	-	43,665	48,517
PLANT MACHINERY & EQUIPMENTS									
VEHICLES	15%	1,322,359	-	-	800,221	61,348	78,321	347,640	415,855
FURNITURE & FIXTURES	10%	16,290,979	50,023	178,782	16,519,784	731,155	-	6,669,787	7,172,137
OFFICE EQUIPMENT	15%	20,702,034	172,037	158,537	21,032,608	599,058	-	3,473,929	3,742,413
COMPUTER PERIPHERALS	60%	13,820,153	337,283	439,220	14,596,656	867,281	-	797,798	888,576
ELECTRIC INSTALLATIONS		-	-	-	-	-	-	-	-
LIBRARY BOOKS	100%	1,952,634	16,646	45,780	2,015,060	62,015	-	22,890	22,479
TUBEWELLS & WATER SUPPLY	15%	85,040	-	-	85,040	73	-	416	489
TOTAL		80,346,035	575,989	822,319	81,222,205	2,984,643	78,321	20,424,954	22,018,157
B. FROM PROCESSING FEE AMOUNT									
BUILDINGS:									
a. On freehold land	10%	2,115,724	-	-	2,115,724	91,075	-	819,676	910,751
TOTAL		2,115,724	-	-	2,115,724	91,075	-	819,676	910,751
TOTAL OF CURRENT YEAR		82,461,759	575,989	822,319	83,337,929	3,075,718	78,321	21,244,630	22,928,908
PREVIOUS YEAR		79,583,859	1,979,853	898,047	82,461,759	3,430,444	-	22,928,906	23,481,451

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		--		--
2. Other approved securities		--		--
3. Shares		--		--
4. Debentures and Bonds		--		--
5. Subsidiaries and Joint Ventures		--		--
6. Others (to be specified)		--		--
TOTAL		--		--

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS OTHERS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		--		--
2. Other approved securities		--		--
3. Shares		--		--
4. Debentures and Bonds		--		--
5. Subsidiaries and Joint Ventures		--		--
6. Others (to be specified)		--		--
TOTAL		--		--



Place : Gurgaon
Date : 29.06.2015

sd/-

Managing Director



sd/-

Additional Managing Director




sd/-

Joint Director


(Amount in Rs.)

SCHEDULE 11 - CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES		CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. CURRENT ASSETS					
1. Inventories:					
a. Stores and Spares			343,439		192,287
b. Stamps in hand			-		-
c. Stock in trade		-		-	
- Finished goods		-		-	
- Work in progress		-		-	
- Raw Materials		-		-	
2. Sundry Debtors:					
a. Outstanding for a period exceeding 6 months		-		-	
b. Others - Deposits				-	
3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts etc)			123,046		86,673
4. Bank balances					
a. With Scheduled banks:					
- On Current Accounts		-		-	
- On Deposit Accounts		1,000,000,000		945,000,000	
- In Saving accounts (Head Office)		254,551,697		236,460,068	
- In Saving accounts Imprest A/c (NHB's Centres)		9,018,835		6,122,091	
- In Saving accounts-Subsidy A/c (Centres)		2,415,199		4,760,702	
- In Saving accounts-Cost of application form & scheme broucher (centres)		2,857,362	1,268,843,094	288,632	1,192,631,493
b. With non-Scheduled banks:					
- On current accounts		-		-	
- On Deposit Accounts		-		-	
- On Saving accounts		-		-	
5. Post Office Savings Accounts			-		-
TOTAL (A)			1,269,309,579		1,192,910,453
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS					
1. Loans:					
a. Staff		7,123,209		5,341,688	
b. Others		496,869		-	
c. Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity					
d. Soft Loan under schemes of the Board					
- Considered good and recoverable		980,000		1,552,000	
- Doubtful		217,079,681		217,292,385	
			225,679,759		224,186,073
2. Advances and other amounts recoverables in cash or in kind or for value to be received:					
a. On capital account		-		-	
b. Prepaid Expenses		-		-	
c. Deposits		314,391		314,391	
			314,391		314,391
3. Income Accrued:					
a. On investments from Earmarked/ Endowment Fund					
b. On investments - FDR's		30,358,767		29,687,971	
c. On Saving accounts		-		-	
d. On Soft loans					
- Considered good and recoverable		604,050		1,006,864	
- Doubtful		30,790,634		32,348,278	
(includes income due unrealised)			61,753,451		63,043,113
4. Tax Deducted at Source By Bank & Income Tax Paid (under protest)		-	65,853,861	-	58,553,407
TOTAL (B)			353,601,462		346,096,984
TOTAL (A + B)			1,622,911,041		1,539,007,437



Place : Gurgaon
Date : 29.06.2015 Managing Director

sd/-



Additional Managing Director

sd/-



Joint Director

sd/-

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/ SERVICES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from sales:				
a. Sale of Finished Goods	-		-	
b. Sale of Raw Materials	-		-	
c. Sale of Scrap	-		-	
2. Income from Services:				
a. Processing charges	-		-	
b. Cost of Application form & scheme brochure	38,970,687		14,885,599	
Less: Expenses. On hiring the services of DEOs	5609778			
Less: Expenses for printing of NHB publication	353084			
Less: Expenses for Scrutiny Fees of Cold Storage	4879514			
Less: Expenses for Contractual DEO - MIS	3516539			
Less: AMC Website	234500			
Less: Travelling expenses & consultancy fee of Experts.	229700			
Total Expenses	14,823,115		14,812,568	
c. Professional/ Consultancy Services	-		-	
d. Agency Commission and Brokerage	-		-	
e. Maintenance Services (Equipment/ Property)	-		-	
f. Others	-		-	
		24,147,572		73,031
TOTAL		24,147,572		73,031


(Amount in Rs.)

SCHEDULE 13 - GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable grants and subsidies received)	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government				
Planned expenditure				
From NHB Budget	2,064,400,000		2,027,694,000	
From NHM Budget			678,000,000	
Non planned expenditure	-		-	
		2,064,400,000		2,705,694,000
2. State Government (s)		-		-
3. Government Agencies		-		-
4. Institutions/ Welfare Bodies		-		-
5. International Organisations		-		-
6. Others (Specify)		-		-
TOTAL		2,064,400,000		2,705,694,000



sd/-

Place : Gurgaon
Date : 26.06.2015 Managing Director



sd/-

Additional Managing Director



sd/-


Joint Director

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTIONS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Entrance Fees		-		-
2. Annual Fees/ Subscriptions		-		-
3. Seminar/ Program Fees		-		-
4. Consultancy Fees		-		-
5. Others		-		-
TOTAL		-		-
Note: Accounting Policies towards each item to be disclosed				

(Amount in Rs.)


SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Invest. From Earmarked/ Endowment Funds transferred to funds)	Investment From Earmarked Fund		Investment - Others	
	Current year	Previous Year	Current year	Previous year
1. Interest				
a. On Govt Securities			-	
b. Other Bonds/ Debentures			-	
c. Others (FDs with banks)			-	-
2. Dividends				
a. On Shares			-	
b. On Mutual Fund Securities			-	
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (Specify)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
Transferred To Earmarked/ Endowment Funds				



Place : Gurgaon
Date : 26.06.2015

sd/-

Managing Director



sd/-

Additional Managing Director



sd/-

Joint Director


(Amount in Rs.)

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from publications		34,975		73,725
2. Income from Royalty		-		-
3. Others (Specify)		-		-
TOTAL		34,975		73,725

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. On Term Deposits:				
a. With Scheduled Banks	92,359,525		87,644,714	
b. With Non Scheduled Banks	-		-	
c. With institutions	-		-	
d. Others	-		-	
		92,359,525		87,644,714
2. On Savings Accounts:				
a. With Scheduled Banks	16,495,045		17,448,719	
b. With Non Scheduled Banks	-		-	
c. Post Office Savings Accounts	-		-	
d. Others - at Centres	-		-	
		16,495,045		17,448,719
3. On Loans:				
a. Employees/ Staff	86,629		165,299	
b. Service charges recoverable from Beneficiaries under Soft Loan Scheme				
c. Service Charges Received from Beneficiaries under Soft Loan Scheme				
		86,629		165,299
4. Interest on Debtors and Other Receivables		-		-
TOTAL		108,941,199		105,258,732


Note: Tax deducted at source to be included



Place : Gurgaon
Date : 26.06.2015

sd/-

Managing Director



sd/-

Additional Managing Director



sd/-

Joint Director


(Amount in Rs.)

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Profit on sale/ disposal of assets:				
a. Owned assets	-			
b. Assets acquired out of grants, or received free of cost	-			
2. Rent received		168,180		168,180
3. Fees for Miscellaneous Services		-		-
4. Miscellaneous Income		383,588		106,154
5. Service charges received-MKTG		293,119		1,082,236
TOTAL		844,887		1,356,570

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 19 - INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Closing stock				
a. Finished Goods				
b. Work in Progress				
2. Less: Opening Stock				
a. Finished Goods				
b. Work in Progress				
NET INCREASE/ (DECREASE) [1 - 2]		-		-


(Amount in Rs.)



Place : Gurgaon
Date : 26.06.2015

sd/-

Managing Director



sd/-

Additional Managing Director




sd/-

Joint Director

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Pay and Allowances		41,976,685		42,702,445
b. Other Allowances and Bonus		6,975,759		6,933,513
c. Contribution to Provident Fund		10,151,399		9,848,183
d. Contribution to other fund (Specify)		-		-
e. Staff Welfare Expenses		550,919		426,329
f. Expenses on employees retirement & terminal benefits				
- Paid during the year		2,415,268		5,836,952
- Provision for the year		19,228,601		6,377,278
TOTAL		81,298,631		72,124,700

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 21 - OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Purchase		-		-
b. Processing charges		-		-
c. Cartage & carriage inward		-		-
d. Electricity and power		2,021,785		1,782,765
e. Generator running & maintenance		792,900		914,028
f. Insurance		19,808		17,048
g. Repair and maintenance		6,244,180		469,014
h. Security charges and house keeping expenses		3,531,231		3,110,175
i. Vehicles Running and Maintenance		282,891		345,915
j. Postage, Telephone and communication charges		945,899		918,425
k. Printing and stationery		670,731		1,457,413
l. Travelling and Conveyance expenses		5,130,944		5,128,320
m. Newspaper & periodicals		65,197		52,859
n. Office expenses		658,815		284,106
o. Expenses on meeting\entertainment		169,352		233,936
p. Auditors remunerations/ fees		493,370		602,078
q. Legal & Professional Charges		1,293,911		668,999
r. Advertisement and publicity		610,929		672,768
s. Photocopy exp.		568,846		586,373
TOTAL		23,500,789		17,244,222



Place : Gurgaon
Date : 26.06.2015

sd/-

Managing Director



sd/-

Additional Managing Director



sd/-

Joint Director

(Amount in Rs.)

SCHEDULE 22 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Grants given to Institutions/ Organisations				-
b. Subsidies given to Institutions/ Organisations(For Other than NE states)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)				
-From NHB Budget	792,226,928		992,886,433	
-From NHM Budget			257,341,530	
- Legal charges for court cases under soft loan scheme	715,250		3,787,448	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages				
-From NHB Budget	969,189,000		838,925,600	
-From NHM Budget			420,652,280	
iii) Technology Development/ Promotion for Horticulture				
-From NHB Budget	68,530,498		52,342,582	
-From NHM Budget			6,190	
iv) Market Information Service for Horticulture Crops	75,929,237		72,569,091	
v) Horticulture Promotion Services	2,173,604		9,590,606	
Expenses (For NE States including Sikkim)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	2,952,709		4,874,100	
ii) Technology Development/ Promotion for Horticulture	3,811,409		7,363,018	
iii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	53,500,118	1,969,028,753	52,612,882	2,712,951,760
c. Other Scheme related Expenses				
i) Service Charges waived under One Time Settlement Scheme.		-		837,365
TOTAL		1,969,028,753		2,713,789,125

Note: Name of entities, their Activities along with the amount of Grant/ Subsidies are to be disclosed.


As per Operational Guidelines of Schemes of National Horticulture Board, the eligible organizations are as under:-

Unless otherwise specified, organizations/promoters, such as Association of Growers, Individuals, group of farmer growers/consumers, farmers Producer Organizations (FPOs,) Partnership/Proprietary Firms, Self Help groups (SHGs), NGOs, Companies, Corporations, Cooperatives, Co-operative Marketing federations, agricultural Produce Marketing Committees, Marketing Boards/Committee, Municipal Corporations/Committees, Agro-Industries Corporations, SAU's and other concerned R&D organizations are eligible to get assistance under all the NHB schemes.

The subsidy disbursed against each activity has been shown in the Schedule no. 22 above. Beneficiary wise details are available as separate booklet. In addition to NHB Schemes, the NHB implements the certain components of NHM, NBM, MoFPI schemes and Saffron mission.

(Amount in Rs.)


SCHEDULE 23 - INTEREST	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. On fixed loans		-		-
b. On other loans (including Bank charges)		76,017		20,942
c. Other (Specify)		-		-
TOTAL		76,017		20,942



Place : Gurgaon

sd/-

Date : 26.06.2015 Managing Director



sd/-

Additional Managing Director



sd/-

Joint Director

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE
PERIOD ENDED 31.03.2015

Schedule 24 - Significant Accounting Policies

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. VALUATION OF INVENTORIES

Stores, Spares (including machinery spares) and stationery items are valued at cost.

3. INVESTMENTS

Not Applicable.

4. EXCISE DUTY

Not Applicable.

5. FIXED ASSETS

The Fixed Assets are shown in accounts at historical cost less depreciation.

6. DEPRECIATION

- a) Depreciation has been provided on Written Down Value method at the rate as per provisions of the Income Tax Act, 1961.
- b) In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation has been provided as per provision of the Income Tax Act, 1961.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

NIL.

8. ACCOUNTING FOR SALES

NIL.

9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

Grant-in-aid received from the Department of Agriculture & Co-operation, Govt. of India is accounted for on receipt basis.

Grants-in-aid received from the government under various Schemes, other than NHB Schemes, have been recorded in Earmarked Funds.

10. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in Foreign Currencies are recorded at exchange rates prevailing on the date of respective transactions.

11. LEASE

No Assets have been obtained on lease rental basis during the year.

12. RETIREMENT BENEFITS

12.1 Provision towards Gratuity payable on death / retirement of employees is accounted for on the accrual basis.

12.2 Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.


13. REVENUE RECOGNITION

a) Income such as interest on FDR's, service charges on loans & advances are accounted for on accrual basis.

b) Unutilized balances under various schemes are accounted for as and when received.


c) Amount released for assistance/subsidy under various schemes are shown as expenditure in the year of release and unutilized amount for previous years received back during the current year are recorded in Corpus/Capital Fund.

14. Provision for Pay and Allowances for the month of March 2015 has not been made in the accounts because the same is payable in the next year.



Place : Gurgaon
Date : 26.06.2015
Managing Director

sd/-



sd/-
Additional Managing Director



sd/-
Joint Director

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE
PERIOD ENDED 31.03.2015

Schedule 25 - Contingent Liabilities and Notes on Accounts

1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs. NIL (Previous year Nil)
- 1.2 In respect of:
- Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL).
 - Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL).
 - Bills discounted with banks Rs NIL (Previous year Rs NIL).
- 1.3 Disputed demands in respect of:
- Sales-tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL).
 - Municipal Taxes NIL (Previous year Rs. NIL).
- 1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity - Rs Nil (Previous Year Nil).

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Nil).

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs NIL (Previous year Rs. NIL).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value of realization in the ordinary course of business, equal to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

National Horticulture Board (NHB) had been notified by Central Government under Section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961, up to the assessment year 2008-09.

The NHB filed application with the Income Tax Authorities for renewal of exemption u/s 10(23C) (iv) of the Income Tax Act 1961 for Assessment Year 2009-10 to 2010-11, but the same has been rejected by the Chief Commissioner of Income Tax(CCIT). The Board has filed writ petition in the High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh against the orders of the CCIT. The decision in the matter is awaited from the Hon'ble High Court.

The NHB had also filed application with the CCIT, Panchkula, Haryana on 16.04.2010 to grant exemption to NHB under section 10(23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961 for assessment year 2011-12 to 2013-14. The CCIT rejected the above said application of NHB vide order dated 26.04.2011. The NHB has filed writ petition in the Hon'ble High Court of Punjab and Haryana at Chandigarh against the above said orders dated 26.04.2011 issued by the CCIT. The Hon'ble Court have directed the CCIT to re decide the application of petitioner in the view of the documents placed before it. No decision in the matter has been received from CCIT till date.

The NHB had also filed application with the CCIT, Panchkula, Haryana on 31.03.2014 to grant exemption to NHB under section 10(23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961 for assessment year 2014-15 and onwards, but the same has been rejected by the Chief Commissioner of Income Tax(CCIT). The Board has filed writ petition in the High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh against the orders of the CCIT. The decision in the matter is awaited from the Hon' ble High Court.

The Board is also registered with Income Tax Authorities u/s 12 AA of the Income Tax Act, 1961.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2008-09 (relevant to assessment year 2009-10) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non charitable activity and levied a tax of Rs.98,96,505/- on the application cum brochure fees received by NHB. The NHB deposited the same under protest. NHB filed an appeal against the orders of the Assessing Officer. The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), New Delhi has decided the appeal in favour of NHB. The NHB has requested the Income Tax Authorities to refund the tax amount but the same has not yet been refunded.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2009-10 (relevant to assessment year 2010-11) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non charitable activity and levied a tax of Rs.1,52,04,930/- on the application cum brochure fees received by NHB. The NHB deposited the same under protest. NHB filed an appeal against the orders of the Assessing Officer. The Income Tax Appellate Tribunal (ITAT), New Delhi has decided the appeal in favour of NHB. The NHB has requested the Income Tax Authorities to refund the tax amount but the same has not yet been refunded.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2010-11 (relevant to assessment year 2011-12) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non charitable activity and levied a tax of Rs.76,99,700/- on the application cum brochure fees received by NHB. The TDS amounting to Rs.80,72,944/- has already been deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurgaon

on fixed deposits of NHB during the Financial year 2010-11. NHB has requested the Income Tax Authorities to refund the TDS amount. NHB has also filed an appeal, against the orders of the Assessing Officer. The decision in the matter is awaited from the ITAT, New Delhi.

The Assessing officer, during the assessment proceedings for the Financial Year 2011-12 (relevant to assessment year 2012-13) treated the receipts on account of Application cum Brochure Fee as non charitable activity and levied a tax of Rs.21,81,917/- on the application cum brochure fees received by NHB. The TDS amounting to Rs.80,44,928/- has already been deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurgaon on fixed deposits of NHB during the Financial year 2011-12. NHB has requested the Income Tax Authorities to refund the TDS amount. NHB has also filed an appeal, against the orders of the Assessing Officer. The decision in the matter is awaited from the Commissioner of Income tax (Appeal) Faridabad.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Values of Imports Calculated on C.I.F. Basis:

- Purchase of finished Goods NIL
- Raw Materials & Components (Including in transit) NIL
- Capital Goods NIL
- Stores, Spares and Consumables NIL

6.2 Expenditure in foreign currency

- a) Travelling Expenses Rs. 31881/-
- b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/banks in Foreign Currency
- c) Payment made towards purchase of Machinery for Technology Awareness NIL
- d) Other expenditure:
 - Commission on Sales NIL
 - Legal and Professional Expenses NIL
 - Miscellaneous Expenses :- NIL
 - Membership fee under TSG component of NHM Rs. 7,38,546/-


6.3 Earnings:

Value of Exports on FOB basis NIL

6.4 Remuneration to auditors:

- As Audit Fees NIL
- Out of Pocket Expenses NIL
- Taxation Matters NIL
- Others NIL


7. The Funds accumulated on account of processing fee/cost of application form & scheme brochure and expenditure incurred as well as fixed assets created out of the processing fee/ cost of application form & scheme brochure amount has been shown separately in the annual accounts of the Board.
8. The service charges are not provided for in the suit filed soft loan cases from the year in which civil suit has been filed. However, service charges to the extent of recovery have been provided in suit filed cases where amount has been recovered during relevant period.
9. As per practice in NHB regarding adjustment of recovery of those soft loan cases in which lump sum amount of recovery is less than principal amount and service charges due, the NHB adjust the amount of recovery first in service charges and the remaining amount in principal amount.
 - (a) During the year an amount of Rs. 17,70,348/- has been received in soft loan case of M/s Garden Pick pvt.ltd. , Out of which, an amount of Rs. 5,13,841/- has been adjusted in service charges, which were provided upto the date of filing of civil suit and remaining amount of Rs.12,56,507/- in principal amount, as per above said practice in NHB provisionally subject to rectification of entries in the books of accounts of NHB required if any , at a later stage.
10. Provision for Penal Interest in respect of late payments of dues by the beneficiaries has not been made in the accounts. It is accounted for on receipt basis.
11. The Board has filed civil suits against defaulter loanies for recovery of soft loans. The provision for doubtful debts amounting to Rs. 24,78,70,315/- has been made up to 31.3.2015.
12. Court fees, if any, in respect of cases where civil suit has been filed, has been debited to expenditure account on payment basis.
13. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.
14. Figures have been rounded off to the nearest rupee.
15. Schedules 1 to 25 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2015 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date.



Place : Gurgaon
Date : 26.06.2015

sd/-

Managing Director



sd/-

Additional Managing Director



sd/-

Joint Director



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
NATIONAL HORTICULTURE BOARD

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India

प्लॉट नं. 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया सैक्टर-18, गुडगाँव-122015 (हरियाणा)

Plot No. 85, Institutional Area, Sector-18, Gurgaon - 122015 (Haryana)

दूरभाष/Tel.: 0124-2342992, फैक्स/Fax: 0124-2342991, 2341225

वेबसाइट/Website: www.nhb.gov.in